मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 17 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 23 – 29 अप्रैल 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

जनता से सीखेंगे और जनता के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे कम्युनिस्ट.....3

भाजपा राज में बढ़ी दलितों के खिलाफ हिंसा.....5

भाकपा महासचिव डी. राजा का पार्टी सदस्यों के नाम पत्र

राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा रही भाकपा

डी. राजा

हमारे देश के राष्ट्रीय जीवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और आज भी निभा रही है, देश के लोग उससे भली–भांति अवगत हैं। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली कॉन्फ्रेंस से भी पहले हमारे कामरेड मजदूर वर्ग के मुद्दों को उठाने में अत्यंत सक्रिय थे। मजदूर वर्ग को संगठित करने में उनकी मुख्य भूमिका थी। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन के बाद से ही कम्युनिस्टों ने मजदूर आंदोलन को उसकी छत्रछाया में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। लाला लाजपत राय, देशबंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस जैसे लब्धप्रतिष्ठ नेता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पदाधिकारी रहे। रूस की क्रांति की पृष्ठभूमि में कम्युनिस्ट विचारधारा की प्रासंगिकता एवं ताकत से ब्रिटिश शासक अत्यंत चिंतित थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन से पहले ही उन्होंने नेतृत्वकारी कामरेडों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। देश के शिशु कम्युनिस्ट आंदोलन के समूचे नेतृत्व, जिसमें एस.ए. डांगे, सिंगारवेलु चेट्टियार, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी आदि शामिल थे, को कानपुर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे की कार्रवाईयों के दौरान हमारे कामरेडों ने जो विचारधारात्मक समझ, देशभक्ति और वीरता दिखाई, उसे देश की जनता ने देखा। हमारे इन कामरेडों ने कम्युनिज्म को हमारे गरीब देश की मेहनतकश जनता की मुक्ति के लिए एक रास्ते के तौर पर प्रस्तुत किया। कानपुर षडयंत्र मुकदमा भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में एक मील का पत्थर बन गया।

कानपुर षडयंत्र मुकदमे में हमारे कामरेडों को सजा सुनाए जाने के बाद अंग्रेज शासकों ने यह घोषणा करने में देर नहीं लगाई कि उन्होंने ''कम्युनिस्टों को खत्म कर दिया है''। वे नहीं जानते थे कि उनकी जेलों और यातना ने हमारे बहादुर कामरेडों के इरादों को मजबूती ही दी। उसके शीघ्र बाद 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस में देश भर के कम्युनिस्ट एकजुट हुए जिससे एक ऐसा संगठन पैदा हुआ जो गरीबों की पार्टी, वंचितों की पार्टी और मेहनतकशों की पार्टी के तौर पर सामने आया। उस समय से ही अपने बलिदानों और भारत और उसकी जनता की बेहतरी के लिए मजबूत प्रतिबद्धता के जरिये कम्युनिस्ट पार्टी ने लाल झंडे को हमेशा ऊंचा उठाए रखा है। कम्युनिस्टों ने अपनी पूरी ताकत के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया जिसने स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन के एजेंडे को उग्रता प्रदान की। उन्होंने कृषि सुधारों, श्रम अधिकारों और समाज के समाजवादी निर्माण के कार्यों को सामने रखा। साथ–साथ ही कम्युनिस्टों ने ऑल इंडिया किसान सभा के रूप में किसानों के संगठनों को, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के रूप में छात्रों को, प्रगतिशील लेखक संघ के जरिये लेखकों एवं बुद्धिजीवियों को और इंडियन पीपुल्स थिएटर ऐसोसिएशन (इप्टा) के जरिये कलाकारों को नेतृत्व प्रदान किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस में कम्युनिस्टों की सहभागिता के जरिये जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस के नेतृत्व में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की प्रगतिशील धाराओं को मजबूती मिली।

अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी भारत के लोगों के सामने अनेकानेक समस्याएं थी। भारतीय समाज गरीबी, निरक्षरता, असमानता, बीमारी और जाति एवं लिंग के अवरोधकों से जकड़ा पड़ा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इन तमाम बातों के खिलाफ संघर्ष किए और जनता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। चाहे वह किसान नेतृत्व में तेलंगाना का विद्रोह हो या बंगाल में तेभागा संघर्ष हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लड़ाइयां लड़ी और जनता के लिए जमीन की हकदारी हासिल करने में सफलता पाई और तेलंगाना के सांप्रदायिक रजाकारों और बंगाल के जमींदारों, दोनों को पराजित किया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर तक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

ने जनता को संगठित किया और एक बेहतर भारत के लिए संघर्ष में उसका नेतृत्व किया। देश के लोगों ने पार्टी के प्रति अपना प्यार व्यक्त किया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत में पहली विपक्षी पार्टी बनी और एक ऐसी गैर–कांग्रेस पार्टी बनी जिसने किसी राज्य में अपनी सरकार बनाई । अपने संघर्षों की बदौलत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देश की जनता के दिल में इस कदर अपनी जगह बनाई कि भारत के पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रवि नारायण रेड्डी को स्वयं जवाहरलाल से भी अधिक वोट प्राप्त हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के खिलाफ अंग्रेजी राज में भी और स्वतंत्रता के बाद भी दमनात्मक कदम उठाए गए, उन्हें राजनीतिक निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ राजद्रोह के अनेक मुकदमे चलाए गए, परंतु इस तरह का तमाम दमन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गर्जना करते भारत के मजदूर वर्ग आंदोलन को खामोश और निस्तेज नहीं कर सका।

भारत में संसदीय लोकतंत्र के ढांचे में काम करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता के ध्येय को आगे बढ़ाने के लिए संसद और विधान सभाओं का इस्तेमाल करने में बढ़–चढ़ कर काम किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक उत्कृष्ट संसद सदस्यों और विधायकों ने आम लोगों की सेवा में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया और जनता के लाभ के लिए एजेंडे को आकार प्रदान किया। उन्होंने विधायी निकायों के अंदर जनता के हितों के लिए कुशलता के साथ संघर्ष किया और कम्युनिस्ट पार्टी जिस ध्येय एवं लक्ष्य के प्रति समर्पित है उसमें योगदान दिया। चाहे वह पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ लड़ने की बात हो, जिसमें देश की एकता को बचाने की कोशिश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक कामरेडों ने अपना बलिदान दिया, या वह बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद का वातावरण रहा हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष किए।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सामाजिक सुधारों और जाति के खात्मे और देश में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किए। आज हमारे समय में भी सांप्रदायिकता और क्रोनी पूंजीवाद के खिलाफ और राष्ट्र के संवैधानिक तानेबाने को बचाने के लिए किए जाने वाले संघर्षों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सबसे अगले मोर्चे पर है।

हमारे कामरेडों के खून और पसीने से लिखित इस गौरवपूर्ण इतिहास के साथ हमें जनता के साथ खड़े होने की अपनी विरासत और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष को और अधिक दृढ़ता के साथ जारी रखना चाहिए।

भारत के चुनाव आयोग ने हालात के संबंध में एक संकीर्ण और तकनीकी नजरिया अपनाया और राष्ट्रीय पार्टी होने के हमारे दर्जे को छीन लिया है। परंतु मेहनतकश जनता के दिलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो जगह हासिल है, वह भारत के चुनाव आयोग की मान्यता पर निर्भर नहीं है।

पार्टी भारत में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं समाजवाद को बचाने के संघर्षों में योगदान करते हुए देश के सभी हिस्सों में सक्रिय होकर काम कर रही है। पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा तकनीकी पहलू से एक महत्वपूर्ण बात है, परंतु जिस चीज ने हमें भारत की जनता के लिए प्रिय बनाया वह चुनाव आयोग से मिला प्रमाणपत्र नहीं था बल्कि वंचितों के लिए हमारे संघर्ष और हमारी लड़ाईयां थी। समय आ गया है कि हम अपनी गतिविधियों को और तेज करें और जिस समय देश धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य जैसे मुख्य मूल्यों पर अभूतपूर्व हमले का सामना कर रहा है हम और अधिक लोगों को लाल झंडे के नीचे संगठित करें। हमारा प्राथमिक कार्यदायित्व है कि पार्टी और उसके जन संगठनों और वर्ग संगठनों को मजबूत करें और फिर संविधान और भारत की जनता की रक्षा के लिए सबसे अगले मोर्चे पर लड़ने वाले वर्करों के तौर पर आरएसएस–भाजपा को पराजित करने में कुशलतापूर्वक योगदान करें।

आरएसएस–भाजपा हमारे देश को फासिज्म के एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहे है; वे देश की समृद्ध विविधता को खत्म करने की कोशिश

शेष पेज 14 पर...

फासिज्म के गहरे साये में

संपादकीय

1938 में इटली में एक ऐसा समय आया जब राजसत्ता की अनुमति पुस्तक लिखने के लिये भी आवश्यक होती थी। किताबों का आम सड़कों पर होलिका दहन सार्वजनिक और नारों के बीच होता था। ऐसे हर मौके पर पुलिस की मौजूदगी अनिवार्य थी, किसी भी बाधा को निर्ममता में रोकने के लिये और लपटों को जिन्दा रखने के लिये। वास्तव में मुसोलिनी की पसंद ही थी मिलिटरी पत्रकारिता, या दूसरे शब्दों में सैन्य शक्ति के दायरे में रहकर पत्रकारिता करना। इटली के फासीवाद में मुसोलिनी की भूमिका अपरिचित नहीं थी। जब भी किसी विषय को पूरी तरह अंधेरे में धकेलने की बात होती या फिर प्रेस से किसी समाचार को वापस लेने का आदेश होता, इसके इंतज़ाम में कभी कोई देर नहीं होती थी, और यह रोज होता था।

आज डिजिटल क्रांति के युग में, सूचना के पहुंचने का समय लगातार घटता जा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए संचार की गति बढ़ ही गई है, आसान भी हो गया है। तीव्र गति ही लेकिन काफी नहीं है क्योंकि हर सूचना को सत्ता पक्ष की पसंद के मुताबिक ही परोसना होता है। उदाहरणस्वरूप नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें शायद ही कोई जगह छोड़ी गई है ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझने और जानने के लिये। इस स्थिति में इटली में जनमानस पर लादी गई तोड़ी–मरोड़ी सूचनाएं और हर क्षण की ख़बर सत्ता पक्ष तक पहुंचाने की और नियंत्रण रखने की अनिवार्य कोशिश से भी प्रेरणा ली गई है।

संचार के बुनियादी तथ्य को गलत सूचनाओं के दौर में समझ पाना बहुत कठिन है, विशेषकर, जब सोशल मीडिया अधिकाधिक लोकप्रिय होने के साथ ही उसके दायरे बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार और उसकी अन्य संस्थाएं आज सूचना प्रसारण को विनियम प्राधिकरण या रेगुलेटिंग इकाई की तरह नियंत्रित कर रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) में सुधार के नियम, 2023, में एक तथ्य जांच कमिटी को भी जोड़ा है जिसमें जांच होती रहेगी कि तथ्य झूठ, गलत या गुमराह करने वाले, साथ ही सरकार से संबंधित तो नहीं है और इन्हें सोशल मीडिया द्वारा संप्रेषित तो नहीं किया गया है। ऐसे किसी भी तथ्य को जिसे तथ्य जांच कमिटी ने झूठ, गलत या गुमराह करने वाला पाया है, उसके खिलाफ इसे संप्रेषित करने वाले तत्व, उदाहरणस्वरूप सोशल मीडिया कंपनियां या नेट सर्विस देने वाली कंपनियों को कदम उठाना पड़ेगा या फिर उनकी सुरक्षा के लिये बनाये गए नियम जो उन्हें सेक्शन 79(आई.टी.) के तहत मिले हैं, जो इन बिचौलियों को तीसरे पक्ष द्वारा उनके अपने वेबसाईट पर भेजे गए पोस्ट की जिम्मेदारी लेने से बचाता है, उसे भी ख़त्म किया जा सकता है। यह सिर्फ एक नई समस्या खड़ी करने की ही बात नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। आई.टी. एक्ट, 2000 के सेक्शन 69ए में इसे विस्तार से बताया गया है जिसके अनुसार, किसी भी समस्या को उठाने के सिलसिले में तयशुदा प्रक्रिया को, अधिसूचित संशोधन बाईपास कर सकते हैं।

बिना अपील या न्यायिक निगरानी के अधिकार के, सरकार किसी सूचना को गलत, झूठ या गुमराह करने वाली, बताने का निर्णय नहीं ले सकती। ऐसा करने से मीडिया के अपने संगठनों को प्रश्न करने या तहकीकात करने से रोकने का गलत इस्तेमाल होने की संभावना बनती है। सरकार ने नोटिस पारित किए हैं, उन सबके बारे में जिनसे आलोचनात्मक विचारों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणियों और कुछ ट्वीट्स, जिन्हें कोर्ट तक ले जाया गया, को शामिल किया है। किसी भी प्लेटफॉर्म की, किसी तथ्य पर जिसे सरकार ने हरी झंडी दी है, उस पर उनकी प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म करने, और इम्युनिटी उठा लेने की बात कही गई है। यह स्पष्ट है कि सरकार बोलने और विचार अभिव्यक्त करने के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अधिकार को रोक भी लगा सकती है, जो सिहरा देने वाली हैं। व्यवस्था को बनाए रखने के लिये, जिसमें आज की कार्यकारिणी सरकार भी शामिल है, को हमेशा सत्य तक पहुंचाने का पत्रकारिता को प्रमुख और बिना किसी समझौते के अधिकार है।

इस दायित्व से जनतंत्र में किसी भी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती। भारत में प्रेस की आजादी की गारंटी संविधान की धारा 19 में दी गई है, जिससे मीडिया के अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सार्वजनिक आजादी का अधिकार धारा 19 में उजागर किया गया है। यह तर्क तो समझ में आता है कि सरकार और मीडिया के बीच थोड़ी दूरी जरूर निभानी चाहिए, ताकि मीडिया को पूरी आजादी मिल सके। सरकार अगर किसी तथ्य को गलत, झूठ या गुमराह करने वाला समझती है और इस पर कार्यवाही का उसे अधिकार मिला है उन प्लेटफॉर्म पर जो उन्हें जनता के सामने प्रकट करती हैं, तो यह सेन्सरशिप एक भयानक क़ानून है। यह सेन्सरशिप का अधिकार ग़जट के नोटिफिकेशन से हकीकत बन चुका है।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (एम.ई.आई.टी. वाई.) ने इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमिडियरी गाइड लाईन्स और मीडिया एथिक्स कोड) एमेन्डमेन्ट रूल्स, 2023 (एम. आई.टी.रुल्स, 2023) के तहत एक फैक्ट चेक यूनिट, जो केंद्र सरकार की ओर से होगा और उसे केंद्र सरकार से संबद्ध किसी भी विषय पर जांच करने का अधिकार दिया है। यह विभाग किसी भी ऑनलाइन कमेंट, न्यूज रिपोर्ट, या सरकार के किसी मिनिस्ट्री या अफ़सर पर प्रकट किए गए विचारों को ऑनलाइन बिचौलियों को सेन्सरशिप लागू करन के लिये नोटिफाई कर सकती है। किसी भी तथ्य को सही–सही रिपोर्ट करना है और उसकी सत्यता अनिवार्य है। जनता के लिये वह कितना सार्थक है इसे पाठक पर छोड़ दिया जायगा।

इस शक्ति द्वारा विधायिका के उद्देश्य में, रिक्त स्थानों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों में, जो कुछ अधूरा रह गया है, उसे पूरा करना है। इसी सिलसिले में श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिये गए निर्णयों ने यह स्थापित किया कि धारा 79 और आई.टी. नियमों की यह जरूरत है कि कोर्ट से वास्तविक सूचनाएं और उसका आर्डर लेने के लिये मध्यस्थों की आवश्यकता होगी जो संविधान की धारा 19(2) के अंतर्गत युक्तिपूर्ण प्रतिबंध हैं। सरकार की कमिटी में जो शब्द, जिनमें–''झूठी, नकली और गुमराह करने वाली'' शामिल है, उन्हें जगह नहीं मिली है धारा 19(2) में।

कोई भी वक्तव्य अपने आपमें गलत या गुमराह करने वाला नहीं बन जाता। ऐसे वक्तव्य का संदर्भ समझना पड़ता है। ग़लत या नकली युक्तिपूर्ण प्रतिबंधों में पड़ते हैं जिसमें सरकार को सेंसरशिप के लिये असंवैधानिक शक्तियां दी गई है। यहां तक कि आई.टी. रुल्स, 2023 में भी ''नकली, ग़लत या गुमराह करने वाली'' जानकारी को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया। फैक्ट चेक यूनिट की कार्रवाईयों के दौरान उनकी विशेषताओं को सुनवाई के दौरान भी नहीं रखा गया कि आखिर ''नकली, ग़लत या गुमराह'' करने वाली कौन और कैसी रिपोर्ट्स हैं।

जंगल राज, बुल्डोजरवाद के खिलाफ वामपंथी लामबंद

लखनऊ, 17 अप्रैल 2023: उत्तर प्रदेश के वामपंथी दलों की एक बैठक आज यहां संपन्न हुयी। बैठक में उत्तर प्रदेश में व्याप्त जंगलराज, कानून व्यवस्था की हालत के चरम पतन, पुलिस अभिरक्षा में की जा रही सुनियोजित हत्याएं, वोटों के ध्रुवीकरण के लिये समाज और देश की एकता को दांव पर लगाना, न्याय प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और संसदीय प्रणाली को रौंदना, पुलवामा जैसी ह्रदयविदारक घटना को छिपाने– दबाने की साजिशें, अडानी प्रोजेक्ट के लिए राज्यपाल को रिश्वत देने की संघियों की पेशकश और भय का वातावरण उत्पन्न करने को विपक्ष और जनता को शासकीय संस्थाओं के माध्यम से नेस्तनाबूद करने की कोशिशों पर गहनता से विचार किया गया।

निश्चय किया गया कि वामपंथी दल मिल कर इन मुद्दों पर सिलसिलेवार पहलकदमियां करेंगेऔर इन कार्यवाहियों में सभी लोकतांत्रिक शक्तियों और व्यक्तियों को शामिल करने का प्रयास करेंगे।

सिलसिलेवार हो रहे फर्जी एनकाउंटर्स, बुल्डोजरी अवैध कार्यवाहियों के खिलाफ और विधि के शासन की स्थापना की मांग करते हुए आचार संहिता के पालन के साथ 20 अप्रैल को राज्यपाल के नाम जिला केन्द्रों पर संयुक्त रूप से ज्ञापन दिये जायेंगे।

उपर्युक्त सभी और अन्य ज्वलंत मुद्दों को आधार बना कर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संयुक्त कन्वेंशन आयोजित किया जायेगा जिसमें आगामी आंदोलन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जायेगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निकायों में जहां वामदलों के उम्मीदवार मैदान में हैं वहां उन्हें ही समर्थन किया जाना है। शेष जगह वामदल भाजपा को हराने के लिए काम करेंगे।

आज की इस बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डा. गिरीश, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी– मार्क्सवादी के राज्यसचिव हीरालाल यादव, भाकपा राज्य सचिव अरविन्द राज स्वरूप, भाकपा माले के राज्य सचिव सुधाकर यादव, फारवर्ड ब्लॉक के प्रदेश महासचिव उदय नाथ सिंह, लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जुबेर अहमद कुरेशी, भाकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य फूलचन्द यादव, रामचन्द सरस, माकपा के राज्य सचिवमंडल के सदस्य मुकुट सिंह, प्रेमनाथ राय एवं रवि मिश्रा, माले के रमेश सेंगर आदि मौजूद थे।

–20 अप्रैल को जिला केन्द्रों पर संयुक्त रूप से ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिये जायेंगे।

–विभिन्न ज्वलन्त मुद्दों को लेकर जून के अंत में राज्य स्तरीय कन्वेंशन लखनऊ में।

–निकाय चुनावों में वामपंथी दलों के प्रत्याशियों को सफल बनाना प्राथमिकता। अन्य जगह भाजपा को हराने को वोट करेंगे।

गाजीपुर में किसान सभा स्थापना दिवस मनाया गया

गाजीपुर, 11 अप्रैल 2023: अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना दिवस भारद्वाज भवन पर मनाया गया। इस अवसर पर किसान सभा के महामंत्री, पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने कहा कि लखनऊ के गंगा प्रसाद मेमोरियल हाल में आज के ही दिन किसानो के मसीहा महान नेता, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में संगठित किसान आंदोलन को धार देने के लिए किसान सभा का गठन हुआ। स्थापना के अवसर पर देश के जाने माने नेता ए न जी रंगा, बाबा रामचंदर दास, राम मनोहर लोहिया, जेड. ए अहमद, जयप्रकाश नारायण ने भाग लिया एवं अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, भारत के महान स्वाधीनता सेनानी, विद्वान पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की। किसान सभा अपने गठन के बाद स्वाधीनता आंदोलन, एवं आजादी के बाद किसानो के सवालों पर संघर्ष करती चली आ रही है। आगे वरिष्ठ नेता डॉ. रामबदन सिंह ने कहा कि 75 वर्षो की आजादी के बाद भी किसानों की समस्या बनी हुई है। वर्तमान सरकार किसानो की आमदनी दूनी करने का केवल ढिढोरा पीट रही है। परन्तु उसकी नीति किसान विरोधी है। 380 दिन हुए किसान आंदोलन को खत्म कराने हेतु हुए समझौते को आज तक लागू नहीं किया गया। इस मौके पर किसानों के सवालों पर कड़ा संघर्ष करने का संकल्प लेना होगा। साथ ही साथ 8, 9, 10, जून को जनपद में किसान सभा के राज्य सम्मेलन को सफल बनाने पर विचार हुआ। इस अवसर पर शिक्षा एवं सामाजिक न्याय के प्रणेता ज्योति बा फुले को याद किया गया। इसमें भाकपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य अमेरिका सिंह यादव, रामकेर यादव, घुरा यादव, बीरेंद्र राम, विजय यादव, संजय राम, सुरेंद्र चौहान, अजय मिश्रा आदि ने अपना विचार प्रकट किये। अध्यक्षता, किसान सभा के जिलाध्यक्ष जनार्दन राम एवं संचालन ईश्वरलाल गुप्ता ने किया।

जनता से सीखेंगे और जनता के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे कम्युनिस्ट

बिनोय विश्वम

भारत का चुनाव आयोग हो सकता है किसी सही समय का इंतजार कर रहा हो मानो उन्हें किसी शीर्षस्थ से हरी झंडी मिलने वाली थी। 10 अप्रैल 2023 को भारत के चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा वापस लेने के फैसले की अधिकारिक तौर पर घोषणा की। जहां तक पार्टी का संबंध है यह घोषणा अनापेक्षित नहीं थी क्योंकि चुनाव आयोग 2019 से ही बार–बार नोटिस जारी कर रहा था, सुनवाई कर रहा था और फैसले को स्थगित रख रहा था। स्वयं चुनाव आयोग द्वारा एकतरफा तरीके से निर्धारित मानदंड के अनुसार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नतम आवश्यक सीटें नहीं प्राप्त कर सकी। अपनी प्रकृति एवं बनावट से ही चुनाव आयोग को अपने स्वनिर्धारित मानदंड की लोकतांत्रिक प्रमाणिकता की कोई चिंता नहीं थी। उनका शासनादेश तकनीकी मानदंड के अनुसार काम करने के लिए था। जाहिर है ये मानदंड किसी राजनीतिक पार्टी के पास क्या जनसमर्थन है उसका मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं थे। किसी पार्टी की ताकत या कमजोरी को आंकने का उनका एक ही पैमाना है और वह है ''फर्स्ट पास्ट द पोस्ट'' (चुनाव का तरीका जिसमें जिसको सबसे अधिक वोट पड़ें उसे ही जीता हुआ माना है)। हमारी चुनावी व्यवस्था में जो अंतर्निहित और गहरी चोट करने वाली कमियां हैं वह उसके नोटिस में कभी नहीं आई। भारत के चुनाव आयोग और सरकार, जो अकसर उसे दिशा–निर्देश देने की कोशिश करती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य लांकतांत्रिक ताकतों द्वारा उठाई गई चुनाव सुधारों की मांगों को अनदेखा करने के लिए बड़े उतावले थे।

इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी की सिफारिशों का सभी लोकतांत्रिक लोगों ने मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक उल्लेखनीय कोशिश के तौर पर स्वागत किया था। परंतु भारत के चुनाव आयोग ने उन पर कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया। उसमें अनेक तर्कसम्मत सुझाव दिए गए थे जैसे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व, चुनावों के लिए सरकार द्वारा फंडिंग, वापस बुलाने का अधिकार (मतदाताओं को यह अधिकार कि यदि वह जनादेश को पूरा करने में असमर्थ रहे तो अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकें)। यह रिपोर्ट 1998 में सौंपी गई थी, परंतु चुनाव आयोग ने इन सिफारिशों को उनका मत जानने के लिए न तो राजनीतिक पार्टियों को सर्कुलेट किया और न आम जनता को। दूसरी तरफ, चुनावी फंडिंग की जवाबदेही के संबंध में लंबे–चौड़े दावे के साथ चुनाव आयोग ने चुनावी बॉडों की स्कीम को लागू करने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई। भारत के नागरिक अब चुनावी बॉडों के पीछे के खेल को समझ चुके हैं। इसमें लोगों को कोई हैरानी नहीं होती कि चुनावी बॉडों से जिस पार्टी को सबसे अधिक फायदा पहुंचता है वह भाजपा ही है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा दी गई जानकारियों के अनुसार, 2018–22 की अवधि में भाजपा को ही अधिकांश चुनावी बॉड मिले जिनके जरिये उसे 5,270 करोड़ रुपए मिले।

जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ दक्षिणपंथी राजनीतिक क्षेत्र के अनेक लोगों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। दक्षिणपंथी मीडिया और राजनीतिज्ञ समझते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रासंगिकता और उसका जुझारू मूड उन्हें चुनावी आयोग द्वारा दी गई मान्यता के तकनीकी आधार पर निर्भर है। हां, कुछ ऐसी पार्टियों के लिए, जो समझती है कि चुनाव आयोग का यह ''प्रमाणपत्र'' उनके अस्तित्व के लिए सर्वोच्च महत्व रखता है, राष्ट्रीय मान्यता एक संवेदनशील मामला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस किस्म की पार्टी नहीं है। निश्चय ही, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करती है, अतः चुनाव और वोट पार्टी के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। पर उसका दृष्टिकोण यह नहीं है कि यह बातें ही ऐसी एकमात्र कारक है कि एक क्रांतिकारी पार्टी इसी के इर्दगिर्द घूमती रहे। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं राजनीति सिखाती है कि जनता और उनके संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। चुनावी लड़ाइयां उस संघर्ष का केवल एक हिस्सा हैं। अतः पार्टी बिलकुल आश्वस्त है कि उसकी मान्यता जनता के दिलों में है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी शुरूआत से पहले ही दिन से भारत के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकारिक तौर पर गठन भी नहीं हुआ था, उस समय भी कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पूर्ण स्वतंत्रता का एजेंडा लिखा। कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने किसानों (ऑल इंडिया किसान सभा), छात्रों (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन), लेखकों (प्रगतिशील लेखक संघ) और कलाकारों (इंडियन पीपुल्स थिएटर ऐसोसिएशन–इप्टा) को संगठित करने के लिए अगुआई की। कम्युनिस्टों ने मजदूर वर्ग के ताकतवर संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) को आकार देने में जो भूमिका अदा की, वह भी अविस्मरणीय है।

यह किसी तरफ से मिली मान्यता के कारण नहीं था कि कम्युनिस्ट हमारे देश की नियति को बनाने में इतनी नेतृत्वकारी भूमिका निभा सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक इतिहास स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी अनगिनत संघर्षों एवं बलिदानों का इतिहास रहा है। यह एक पार्टी है जो विकास के पूंजीवादी तरीके के खिलाफ मजदूरों के संघर्ष में बहादुरी के साथ खड़ी हुई। इस पार्टी के पास उन हजारों शहीदों की याद है जिन्होंने उत्पीड़ित लोगों की मुक्ति के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने जब पुन्नप्रा–व्यालार, तेलंगाना और तेभागा के युद्ध क्षेत्रों में देश की स्वतंत्रता, शांति एवं प्रगति के लिए संघर्ष किया तो उसने किसी किस्म की राष्ट्रीय मान्यता के बारे में कभी नहीं सोचा। पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ और अन्यत्र सांप्रदायिक–फासिस्टों के खिलाफ लड़ते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अगली कतार में खड़ी थी। राष्ट्रीय मान्यता ने न तो उन्हें कभी पीछे खींचा और न कभी आगे धकेला, पार्टी का सरोकार हमेशा देश, जनता और उनके अधिकार से रहा।

इन संघर्षों के दौरान पार्टी ने चुनाव लड़े और जीते। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही थी जिसने देश में पहली बार, 1957 में ही केरल राज्य में पहली गैर–कांग्रेस सरकार बनाई थी। किसी भी चुनावी युद्ध में जीत और हार का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत और हार दोनों का अनुभव किया है। जब जीत मिली तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी जीत कर कुप्पा हो जाए और न कभी ऐसा हुआ कि हारने पर पार्टी ने उम्मीदें खो दी हो। इस तरह की पार्टी के लिए सरकार के किसी अंग द्वारा की गई कोई घोषणा निर्णायक कारक नहीं होने वाली है। यह कोई संयोग की बात नहीं है कि समय के इस ऐतिहासिक बिन्दू पर फासिस्टी हमले के समर्थकों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अपना निशाना बनाया। वे जानते हैं कि यह पहली पार्टी है जिसने सबसे बड़े दुश्मन, हिटलरी फासिज्म के भारतीय संस्करण के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम धर्मनिरपेक्ष–लोकतांत्रिक–वामपंथी ताकतों के व्यापक सहयोग के लिए बिगुल बजाया। वे कारपोरेट लूट की शोषणकारी सरकार के खिलाफ मेहनतकश जनता को लामबंद करने में सीपीआई की प्रतिबद्ध एवं जुझारू भूमिका से अवगत हैं। संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने जो देशभक्तिपूर्ण भूमिका निभाई है, वे उससे अवगत हैं। उन्हें यह गलतफहमी है कि राष्ट्रीय दर्जा छीन कर वे पार्टी को कमजोर और लड़ाई के मैदान से बाहर कर सकते हैं। उनकी यह समझ पूरी तरह गलत है। चुनाव आयोग का यह कदम संघर्ष को आगे बढ़ने के कम्युनिस्ट रास्ते से हमें नहीं रोक सकता। अब पार्टी का नारा रहेगा कि ''जनता के साथ फिर से जुड़ो''। पार्टी जानती है कि जनता सर्वोपरि है, स्वामी है। पार्टी जनता से सीखेगी और जनता के साथ मिलकर संघर्ष करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यही आगे का रास्ता है।

मढ़ौरा में भाकपा ने मनाई अंबेडकर जयंती

मढ़ौरा (सारण), 14 अप्रैल 2023: भारतीय संविधान के निर्माता महान शिक्षा विद एवं विधिवेता बाबासाहब भीम राव अम्बेडकर की जयंती ओल्हनपुर ग्राम में भव्य समरोह के साथ मनायी गयी। समारोह के पूर्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद् सदस्य पूर्व जिला सचिव रामबाबू सिंह के नेतृत्व में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। समारोह का आगाज बाबासाहब के तैल चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया।

समारोह की अध्यक्षता भरत राय ने की और उपस्थित जनसमूह को संविधान एवं आजादी की रक्षा की शपथ दिलायी। समारोह में संजय कुमार ने स्वागत भाषण किया और उपस्थित साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए बाबासाहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा को और मुख्य अतिथि सम्बोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता रामबाबू सिंह ने कहा कि बाबा साहब द्वारा बनाये गए संविधान की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार धजिया उड़ा रही है, साम्प्रदायिक द्वेष फैलाकर धर्मनिरपेक्षता को तार–तार कर रही है, मौलिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन किया जा रहा है। ऐसे में बाबा साहेब की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भारतीय संविधान की रक्षा के लिए उठ खड़े हों और आंदोलित हो।

समारोह को रामबाबू सिंह, संजय कुमार, संजय सिंह, विकास कुमार, विजय जी, शिवप्रसाद राय, मिश्री राय, मोहन कुमार, आदि ने सम्बोधित किया।

भाकपा राष्ट्रीय पार्टी है चुनाव आयोग की तकनीकी अमान्यता के बावजूद

एस. सुधाकर रेड्डी

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अमान्य करना अर्थात पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के दर्जे को वापिस लेना केवल एक तकनीकी औपचारिकता है। राष्ट्रीय पार्टी वह है जिसकी सक्रिय इकाइयां देश भर में आंदोलनों का नेतृत्व कर रही हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सिक्किम और नागालैंड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इकाइयां है। पार्टी के कैडर देश भर मे जन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव आयोग की तकनीकी औपचारिकता के बावजूद एक बेजोड़ संगठनात्मक नेटवर्क वाली राष्ट्रीय पार्टी है। चुनाव आयोग की तकनीकी जरूरतों के अनुसार, उस पार्टी को राष्ट्रीय सदस्य स्तर का दर्जा मिल गया जिसका कोई लोकसभा सदस्य नहीं है और उन्हें जिनका संगठन कुछ पड़ोस के राज्यों में हैं।

हाल की चुनावी असफलताओं के बावजूद भाकपा के लोक सभा, राज्य सभा में सांसद हैं। इसके अलावा भाकपा दो राज्यों में सत्ताधारी गठबंधन में है, विधान सभाओं में इसके 21 सदस्य हैं, इसके सदस्य विधायी समितियों में भी हैं। इसके अलावा 26 राज्यों और नौ केंद्रीय शासित राज्यों के स्थानीय निकायों में हजारों निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

भाकपा के साढ़े छह लाख सक्रिय प्रतिबद्ध सदस्य हैं जो कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के 20,000,000 से ज्यादा अनुयायी हैं। भाकपा का एक गौरवशाली इतिहास है और बेहतर समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।

हालांकि संसदीय जनतंत्र राजनीतिक गतिविधि का महत्वपूर्ण भाग है, भाकपा अपने संघर्षों को नवीन ऊर्जा के साथ जारी रखेगी और फिर से बेहतर हालात में आएगी जैसे कि पार्टी पहले भी इससे कठिन हालात में कर चुकी है। यहां तक कि पार्टी ने जब वह प्रतिबंधित थी उस समय भी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी।

पहले आम चुनाव में भाकपा प्रत्याशी रवि नारायण रेड्डी और सुंकम अचलु ने जेल से लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ा था और उन्हें पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोट मिले थे।

दुनिया में द्वितीय जनतांत्रिक रूप से चुनी गई भाकपा नीत सरकार के गिराए जाने के बाद भी, पार्टी ने भू–सुधार को आगे बढ़ाया और जन क्षेत्र के उद्यमों की मजबूती के लिए काम किया। जब जातिवादी और सांप्रदायिक समूहों ने भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू किया तब भाकपा ने हमारे संविधान को बचाने के लिए सीधे उनके साथ टक्कर ली।

यहां तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमारे साथियों ने दिन में आठ घंटे काम और साप्ताहिक छुट्टी आदि हासिल करने के लिए सफलतापूर्वक आंदोलनों का नेतृत्व किया।

भारतीय कम्युनिस्ट एक सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी, एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी और भारत की पहली कम्युनिस्ट पार्टी है। यह पार्टी प्रत्येक भारतवासी के लिए एक ऐसे देश के निर्माण के लिए संघर्ष द्वारा फिर से अपनी जगह पर लौटेगी जहां कोई किस तरह की पढ़ाई की फीस दे पाएगा कितनी स्वास्थ्य सेवाएं जुटा पाएगा और परिणामतः कितना जी पाएगा यह परिवार की आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म, लिंग से तय नहीं होगा।

देश के संवैधानिक जनतांत्रिक ताने–बाने और धर्मनिरपेक्षता का बचाना और हिंदुत्ववादियों से लड़ना हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है।

कामरेड सी. राजेश्वर राव की 29वीं पुण्यतिथि

9 अप्रैल 2023 को कामरेड चन्द्र राजेश्वर राव की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सी. आर फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक डी. राजा और राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य एवं सीआर फाउंडेशन के अध्यक्ष डा. के. नारायणा ने कामरेड सीआर की मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाई। यह पुण्यतिथि सीआर फाउंडेशन में मनाई गई जहां उनकी एक बड़ी मूर्ति है।

आंध्र प्रदेश राज्य सचिव के. रामाकृष्ण, तेलंगाना राज्य सचिव कुनामेनी संबाशिव राव, सी आर फाउंडेशन के महासचिव पल्ला वेंकट रेड्डी, कोषाध्यक्ष चेन्नाकेशव राव, पी डी चेन्द्रशेखर राव, प्रजापक्षम संपादक के. श्रीनिवास रेड्डी, चेन्नामनेनी वेंकटेश्वर राव, मेडिकल सेंटर की डायरेक्टर डा. के. रजनी, वुमैन्स वेलफेयर सेंटर की डायरेक्टर डी. कृष्णकुमारी, आर्मेनिया के पूर्व राजदूत टी. सुरेश, प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री प्रोफेसर जनदयाल प्रभाकर और वेमुलापल्ली ने कामरेड सी.आर. की मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाई।

वहां एकत्रित साथियों एवं समर्थकों को संबोधित करते हुए डी. राजा ने कहा कि हालांकि कामरेड सीआर हमारे बीच में दैहिक रूप में नहीं हैं लेकिन जिन लक्ष्यों को लेकर वे चले थे उन लक्ष्यों के रूप में वे हमारे बीच हैं और रहेंगे। कामरेड सीआर हम सबके लिए एक आदर्श हैं उन्होंने एक लंबे समय तक पार्टी के महासचिव के रूप में भूमिका निभाई थी। हम उनके उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगी यही उन्हें सही श्रद्धांजलि होगी।

डा. के. नारायण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कामरेड चन्द्र राजेश्वर राव की प्रेरणा से सीआर फाउंडेशन की स्थापना हुई है और फाउंडेशन के तत्वावधान में होल्ड ऐज होम, नीलम राजेश्वर रेड्डी रिसर्च सेंटर, मेडिकल सेंटर, वेलफेयर सेंटर सफलतापूर्वक चल रहे हैं। कई अन्य सामाजिक सेवाओं को चलाने की योजना है। नारायणा ने कहा कि हम उनके उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

ओल्ड ऐज होम के सलाहकार समिति सदस्य सोमुरी तुकाराम, डा. पी. सरस्वती, राजेन्द्र राव, श्रीनिवास, ओल्ड ऐज होम के निवासी, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ककरालांद एवं अन्य ने कामरेड सी आर राव को पुष्पांजलि अर्पित की।

संयुक्त किसान मोर्चा की जबरन भूमि अधिग्रहण के लिए पंचायत

बिहटा, 16अप्रैल 2023: बिहटा सहित सुबे बिहार में किसानों की अनमोल बेशकीमती दौलत उसकी भूमि के जबरन अधिग्रहण का विरोध करते हुए भूमि की वर्तमान बाजार दर से 4 गुना किसानों को दाम दो, सोन नहर और कदवन जलाशय का निर्माण सहित उत्तर कोयल नहर परियोजना को अविलंब चालू कर, हर खेत के लिए पानी का प्रबंध करो, आवारा पशुओं की आवारागर्दी पर रोक एवं बर्बाद फसलों का पर्याप्त मुआवजा, एपीएमसी एक्ट एवं सभी फसलों के लिए फसल बीमा योजना पुनः बिहार में चालू करो, सी–2 के आधार पर लागत का डेढ़ गुना एमएसपी की कानूनी गारंटी, बिजली बिल विधेयक 2022 की वापसी और खेती के लिए मुफ्त बिजली की मांग के साथ, 60 साल की उम्र से सभी पुरुष एवं महिला किसानों को 5000 रू. मासिक पेंशन दो आदि ज्वलंत मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा बिहार की ओर से बिहटा में किसानों की विशाल महापंचायत तथा बिहटा से बिहार विधानसभा पटना के लिए किसानों का पैदल पटना कुच को सफल बनाने हेतु स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मारक श्री सीताराम आश्रम राघोपुर, बिहटा में आज संयुक्त किसान मोर्चा बिहार इकाई की ओर से आयोजित किसान विमर्श में किसान महापंचायत की तैयारी की समीक्षा और आगे की कार्य योजना पर विचार–विमर्श हुए। इस किसान विमर्श की अध्यक्षता किसान नेता अशोक प्रसाद सिंह, दिनेश जी और अनिल कुमार जी की अध्यक्षमंडली ने की।

किसान विमर्श का एजेंडा पेश करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि हमारी सभी मांगे जायज है और उसके लिए तन–मन–धन से हम सभी को मिलकर इसे सफल बनाना है। किसान नेता दिनेश जी, अनिल कुमार सिंह, एम के पाठक, अशोक प्रियदर्शी रामायण सिंह, मनोज कुमार सिंह, आशीष रंजन, अनिल कुमार राय, रामाधार सिंह,कल्लू सिंह, डॉ. श्याम नंदन सिन्हा, अश्विनी चौबे, अभिमन्यु कुमार, कमलेश सिंह एवं गोपाल कुमार ने अपना–अपना बहुमूल्य विचार व्यक्त करते हुए अपने अपने संगठन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बढ़–चढ़कर सहयोग करने का आश्वासन दिया। महापंचायत की तैयारी के लिए बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल तथा पटना जिला में गहन प्रचार अभियान चलाया जाएगा, इसके लिए मोहल्ला बैठक, साइकिल एवं मोटरसाइकिल जुलूस, ग्राम सभा, क्षेत्रीय सभा, नुक्कड़ सभा, पदयात्रा, माईक प्रचार,पोस्टर के साथ–साथ जगह–जगह फ्लैक्स लगाए जाएंगे। हर प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों के बीच किसान जागरण यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिहटा के साथियों की एक तैयारी कमेटी बनाई गई है। सभी किसान संगठनो के बीच बेहतर तालमेल एवं आंदोलन को आयोजित एवं नियंत्रित करने के लिए 7 सदस्यों की समिति बनाई गई। जिसमें किसान नेता अशोक प्रसाद सिंह, दिनेश सिंह, आशीष रंजन, अनिल कुमार सिंह, ए के राय, रामायण सिंह एवं की 7 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया। किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए संपूर्ण बिहार के सभी जिलों में तैयारी की जाएगी और हर जिले से किसानों का जत्था इस महापंचायत में भाग लेने के लिए किसान बिहटा कुच करेंगे।

भाजपा हटाओ, देश बचाओ

भाजपा राज में बढ़ी दलितों के खिलाफ हिंसा

महेश राठी

देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक भाषण में कहा कि मुझे गोली मार दीजिए पर दलितों को नहीं मारिये। मोदी का यह जुमला मीड़िया और उनके भक्तों द्वारा ऐसे पेश किया गया कि मानों मोदी कितने बड़े दलित समर्थक हैं। परंतु यह मोदी की तमाम तरह की दूसरी जुमलेबाजी की तरह एक जुमला ही है और साथ ही झूठ और अफवाह की पाठशाला आरएसएस के प्रशिक्षित सिपाही की हवाबाजी का एक नमूना भी। यह ठीक उसी तरह है कि मोदी कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है और आजाद भारत में लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा देश को लोकतंत्र की मां बताने वाले से ही है, यह उसी तरह है कि मोदी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा और उनके पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक साफ कहते हैं कि मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है, यहां तक कि पीएमओ में बैठा एक मंत्री भ्रष्टाचार की कमान संभाले हुए है, यह ठीक उसी तरह है कि ब्राहम्णवादी पांखडी कहते हैं जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है और जब वो नारी की पूजा करते हैं तो समझ जाइये कि नारी के मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है। इसीलिए जब मोदी दलित पर अत्याचारों का हवाला देकर खुद को गोली मार देने का आह्वान करते हैं तो समझ लीजिए कि वे दलितों पर बेखौफ हमले कर रहे अपने समर्थकों के बचाव की मुहिम में लग गये हैं। वैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर मोदी के हर दर्द को इसी तरह से परिभाषित और अनुवादित किया जाना चाहिए कि वो जिसकी फिक्र कर रहे हैं वो समुदाय अथवा क्षेत्र अब एक नये खतरे, एक नये हमले को झेलने वाला है।

बात दलितों की है तो यह एक ठोस वास्तविकता है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद दलितों पर हमले बढ़े हैं। यह कोई राजनीतिक आंकड़े नहीं बल्कि सरकार के संस्थान एनसीआरबी की रिपोर्ट लगातार जाहिर करती है कि मोदी सरकार के दौरान दलितों पर हमले बढ़े हैं। 2021 में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2020 (50,291 मामले) की तुलना में 2021 (50900) में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार/हमलों में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं कानून व्यवस्था का लगातार ढ़ोल पीटने वाला राज्य उत्तर प्रदेश (13,146 मामले) ने 2021 के दौरान अनुसूचित जाति (एससी) के खिलाफ अत्याचार के मामलों की सबसे अधिक संख्या 25.82 प्रतिशत दर्ज करने वाला राज्य है। इसके बाद राजस्थान में 14.7 प्रतिशत (7524) और मध्य प्रदेश में 14.1 प्रतिशत (7214) के मामले दर्ज किए गए। अगले दो राज्यों की सूची में बिहार 11.4 प्रतिषत (5842) और ओडिशा 4.5 प्रतिशत (2327) हैं। रिपोर्ट दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार की हालिया घटनाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जाति आधारित हिंसा उपरोक्त राज्यों की सरकारी मानसिकता और कानून व्यवस्था बहाल करने के झूठ को उजागर करती हैं।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद से दलितों पर अत्याचार की घटनाएँ लगातार बढ़ी हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर देश, दुनिया को बरगलाने वाले राज्य के हालात इस कदर खराब हैं कि एक दलित व्यक्ति ने आरोप लगाया कि आगरा–कानपुर हाईवे पर मैनपुर जिले में उसकी मोटर साइकिल रोक कर उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया। वह इसकी रिपोर्ट लिखवाने कुरावली थाने गया तो पुलिस वालों ने उस पर झूठा मामला लिखवाने का आरोप लगाया, उससे पूछताछ की और उसी बुरी तरह पीटा गया। बाद में मैनपुरी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने इस घटना की पुष्टि भी की। उन्होंने कहा कि शिकायत लिखवाने गए दलित की पीठ और पैर पर चोट के निशान पाए गए। उत्तर प्रदेश में किसी दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति के आदमी पर अत्याचार होने की यह अकेली घटना नहीं है। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश की घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तीन दलितों को नंगा कर पीटते हुए दिखया गया था। इन पर चोरी करने की कोशिश करने का आरोप था। यह वारदात उत्तर प्रदेश के जौनपुर की थी। इसके पहले मुजफ्फरनगर जिले के तुगलकपुर गाँव में अगस्त 2018 में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। काम करने से इनकार करने पर दो दलितों की पिटाई का मामला सामने आया था। बर्बरता की हदों का पार करने का एक मामला मई 2018 में बदायूँ जिले में वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसकी मूँछ उखाड़ने और जूते में पेशाब पिलाने का आया था। पुलिस के अनुसार हजरतपुर थाना के आजमपुर गांव के सीताराम वाल्मीकि ने पुलिस को बताया था कि वह अपने खेत में गेंहू काट रहा था। ऊँची जाति के लोग चाहते थे कि वह पहले उनके खेत का गेहूं काटे। वाल्मीकि के मुताबिक 'मना करने पर उन लोगों ने खेत में ही पिटाई की और गाँव ले गए और पेड़ से बांधकर उससे मारपीट की और जूते में पेशाब पिलाया। वहीं मथुरा जनपद के नौहझील थाना क्षेत्र के एक गाँव में फरवरी 2019 में ही कुछ दबंगों ने अनुसूचित जाति की युवती की शादी में दूल्हे की बारात नहीं चढ़ने दी थी। बाद में बिना बारात चढ़ाए ही शादी हुई। 10 मई 2022 के अमर उजाला की एक खबर के अनुसार खेत में अनुसूचित जाति का व्यक्ति घुसा तो 5 हजार रुपये जुर्माना और 50 जूते सजा के रूप में मारे जायेंगे। इसका बदमाश विक्की त्यागी के पिता राजबीर प्रधान ने मुनादी कराकर ऐलान किया। यह घटना चरथावल, मुजफ्फरनगर के गाँव पावटी खुर्द की है। दबंग प्रधान की नाराजी का कारण यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों ने उसके खेत में गेहूं की फसल काटने से इनकार कर दिया था।

7 मई 2022 के दैनिक जागरण में प्रकाशित एक खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के महोबा में एक दलित छात्रा ने घड़े से पानी पिया तो शिक्षक ने छात्रा को पीटा। पूरा मामला छिकहरा गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है। विद्यालय परिसर में रखे घड़े से पानी पीने पर गुस्साए शिक्षक ने दलित छात्रा को बुरी तरह पीटा। रोती बिलखती कक्षा सात की छात्रा घर पहुंची तो उसने स्कूल में हुई आपबीती बयां की। बात करने जब पिता विद्यालय पहुंचे तो शिक्षक ने उनसे भी अभद्रता कर दी। आरोप है कि उन्हें जातिसूचक शब्द कहकर विद्यालय से भगा दिया। अमर उजाला की 23 मई 2022 की खबर के अनुसार अलीगढ़ के सांगवान सिटी में रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों को अंबेडकर जयन्ती के मौके पर भंडारा करने की अनुमति नहीं दी गई। सांगवान सिटी में रहने वाले संतोष कुमार ने बताया कि प्रशासन से हमने अंबेडकर जयन्ती पर पार्क में भंडारा कराने की अनुमति मांगी लेकिन अनुमति तो मिली ही नहीं उलटे पार्क में पानी भरवा दिया गया जिससे कि कार्यक्रम न हो सके।

मेदी के सत्ता में आने के बाद अगड़ों के दलित उत्पीड़न को अगड़े पंचायत करके समर्थन देते हैं, निर्लजता के साथ दलित लड़की के बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। हाथरस में एक दलित लड़की के रेप और हत्या के बाद ब्राहम्णवादी जातिवाद की निर्लजता और हौंसले का यह वाक्या एक बार फिर रेखांकित हुआ है। हाथरस के आसपास के 12 गांवों के सवर्णो ने एक पंचायत बुलाकर बलात्कार के आरोपियों का साथ देने और उनके पक्ष में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया था। बलात्कार को नकारते हुए आरोपियों के घरवालों का कहना था कि ये नीच जात के लोग हैं। हम इनका छुआ पानी नहीं पीते, इनकी बेटियों को क्या छुएंगे। ऐसी ही ब्राहम्णवादी बेशर्मी का गवाह पूरा देश जम्मू के कठुआ काण्ड़ के समय भी बन चुका है।

मोदी के सत्ता में आने के बाद जहां देशभर में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हमलों में बढ़ोतरी हुई है तो वहीं उत्तर प्रदेश में ठाकुर योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से दलितों पर होने वाले हमलों और अत्याचार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार की घटनाएं पहले से भी होती रहीं हैं परंतु भाजपा के सत्ता में आने के बाद इसमें बेहद इजाफा हुआ है। मानों यह कोई ब्राहम्णवादी जीत का जश्न चल रहा हो। इसका दावा ब्राहम्णवादी अगड़ों द्वारा किया भी जाता रहा है। वह बातचीत में कहते हैं कि अब तो मोदी आ गये हैं, सैंकड़ों साल बाद हिंदुओं की सत्ता आयी है और अब आरक्षण भी खत्म होगा। विकास के एजेंडे पर सत्ता में आयी मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही विकास के एजेंडे को हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में बदल दिया। सोशल मीड़िया पर ब्राहम्णवाद का विरोध करने पर बलात्कार और हत्या की धमकियां तक दी जाती हैं। और केवल धमकियां ही नहीं दी जाती हैं बल्कि हत्या कर भी दी जाती है। दलित पहले से भी समाज का सबसे कमजोर और सताया हुआ तबका था। अत्याचार पहले भी होता था परंतु जिस आत्मविश्वास के साथ ब्राहम्णवादी अगड़े इस समय एकजुट होते दिख रहे हैं, ऐसा पहले नहीं होता था।

गुजरात के रपार में फेसबुक पर ब्राहम्णवाद का विरोध करने पर एक दलित वकील देवजी माहेश्वरी की हत्या कर दी गई। मारने वाला उन्हीं के गांव का एक ब्राम्हण भरत रावल है, जिसे इस बात से नाराजगी थी कि वो फेसबुक पर ब्राहम्णों के खिलाफ क्यों लिखते हैं। लिखते वो ब्राहम्णवाद के खिलाफ थे। उसे लगता है कि ब्राम्हणों के खिलाफ हैं। मरने से पहले उनकी आखिरी पोस्ट वामन मेश्राम का एक वीडियो था, जिसमें वो कह रहे थे कि दलित हिंदू नहीं हैं। भरत रावल ने कई बार आगाह किया कि ब्राहम्ण विरोधी बातें लिखना बंद करो। वो नहीं माने और कहा कि जो करना हो, कर लो। रावल को जो करना था, उसने कर दिया। मुंबई के मलाड से चलकर रपार गया और देवजी के ऑफिस में घुसकर उन पर चाकू से इतने वार किए कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रावल को गिरफ्तार तो कर लिया है, सख्त धाराएं भी लगा दी हैं, लेकिन सवाल यह है कि मोदी नीत भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद हर रोज यह हमले बढ़ते क्यों जा रहे हैं।

दलितों के खिलाफ इस बढ़ते हुए अत्याचार को केन्द्र सरकार ने स्वयं भी माना है कि भारत में दलितों के खिलाफ हिंसा के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार ने बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि 2018 से 2021 के बीच दलितों के खिलाफ हिंसा के 1.8 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 27, 754 व्यक्तियों को दलितों के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। हालांकि सरकार ने बताया कि 2022 का डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। वहीं यदि पिछले आठ साल के आंकडों को देखें तो देश में 8 साल में दलितों के खिलाफ हिंसा के 3.65 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, आठ सालों में 3.65 लाख मामले यानी हर रोज 125 केस।

अगर बीते दशक में दलितों पर हुई हिंसा के मामलों का विश्लेषण किया जाए तो यह बताता है कि दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले में कोई कमी नहीं आ रही है। 2009 से 2018 के बीच दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले में कन्विक्शन रेट औसतन 25.2 प्रतिशत ही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2009 से 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन में 1,72,716 मामले सामने आए थे। 2009 से 2013 के बीच दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले में 17.29 प्रतिशत बढ़ोतरी देखी गई थी।

2009 से 2013 तक दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले

साल	दलितों के खिलाफ हिंसा
2009	33529
2010	32665
2011	33670
2012	33585
2013	39327

2014 के बाद से बिगड़े हालात

2014 की शुरुआत में हुए आम चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी नीत भाजपा सरकार सत्ता में आई। उसके साथ ही दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले में भी बेहद तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डेटा के मुताबिक 2014 में 46962 मामले आए, जो 2013 की तुलना में 23.7 प्रतिशत अधिक है। 2014 से 2018 के दौरान कुल 2,18,516 मामले आए। वहीं 2019–2021 के बीच 147043 मामले आए हैं।

शेष पेज 15 पर...

ज्योतिबा फुले जन्म दिवस 11 अप्रैल पर विशेष

ऐतिहासिक था ज्योतिबा फुले के दलितोद्धार का अभियान

एल.एस. हरदेनिया

हाल में मैंने फॉरवर्ड प्रेस, दिल्ली द्वारा प्रकशित जोतिराव गोविन्दराव फुले (1827–1890) की पुस्तक 'गुलामगिरी' का हिंदी अनुवाद और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले (1831–1897) पर केन्द्रित 'सावित्रीनामा' पढ़े।

इन दोनों पुस्तकों के पढने के पहले तक मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी को केवल इंसानी जीवन बिताने के अपने मूल अधिकार को हासिल करने के लिए न केवल विदेशी साम्राज्यवादियों का सहारा लेना पड़ा बल्कि उनकी शान में कसीदे भी पढ़ने पड़े–

''कहे जोतिबा अंग्रेजी है मां के दूध समान
पीकर जिसे पाते कुलीनों के बच्चे अवसर और सम्मान
जोतिबा शूद्रों से करते शिक्षा का आव्हान
शिक्षा से मिलेगा सुख, शांति और समाज में मान"
"आगे चलकर पेशवाओं का राज आया
उनके जुल्म उत्पीड़न से शूद्रातिशूद्रों में डर समाया
थूकने को लटकाना पड़ता था गले में मृदांड
पदचिन्ह मिटाने को चलना पड़ता था कमर में झाड़ू बांध"

और

''इसके बाद इस देश में अंग्रेज बहादुर लोगों का राज आया। उनसे हमारे दुख देखे नहीं गये। इसलिए इन ब्रिटिश और कुछ अमरीकी लोगों ने हमारे उस कैदखाने में बराबर दखल देना शुरू किया और हमें अत्यंत ही मूल्यवान उपदेश दिया।"

उन्होंने कहा, ''अरे भाईयों, आप भी हमारे जैसे इंसान हैं, आपका और हमारा उत्पन्नकर्ता एवं पालनहार एक ही है, आपको भी हमारे जैसे सभी अधिकार मिलने चाहिए, फिर आप इन भटों के अन्यायपूर्ण वर्चस्व को क्यों मानते हैं?"

अँगरेज चले गये और अब हमारे देश पर हमारा शासन है। परन्तु दलितों की स्थिति अब भी बदतर बनी हुई है। इस सम्बंध में मेरे कई व्यक्तिगत अनुभव हैं। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले का एक गांव है मारेगांव। इस गांव के दलितों ने निर्णय लिया कि वे गांव के मृत पशुओं के शवों को ठिकाने नहीं लगायेंगे। नतीजे में गांव के उच्च जाति के लोगों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार में उन्हें रोजगार न देना, दुकानों से सामान न देना, अपनी जमीन से उन्हें गुजरने न देना, उन्हें दूध न बेचना और उनके बच्चों का स्कूल में प्रवेश न देने जैसे अमानवीय निर्णय शामिल थे।

जब हम लोगों को यह पता लगा तो हमने जिले के एक भाजपा विधायक एवं जिले के ही एक कांग्रेस विधायक अर्थात दोनों मध्यप्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों का सहयोग इस बहिष्कार का अंत करवाने के लिए मांगा। लेकिन हमें पूर्ण निराशा हाथ लगी। दोनों ने हमारी मदद नहीं की और बहिष्कार जारी रहा। ऐसी स्थिति अभी भी अनेक गांवों में है। उच्च जाति के अधिकांश लोग दलितों पर अत्यचार का विरोध करना तो दूर रहा, वे या तो उसका समर्थन करते हैं या उसके प्रति पूर्णतः उदासीन रहते हैं। उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं होती, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

अमरीका में जब एक काले नागरिक पर जुल्म होता है तो वहां के गोरे हजारों–लाखों की संख्या में सड़क पर उतर जाते हैं। लेकिन हमारे देश में उच्च जाति के अधिसंख्य लोग दलितों पर हो रहे अत्याचारों के मूकदर्शक बने रहते हैं, बल्कि अत्याचारियों के समर्थन में खड़े दिखते हैं। जहां तक पुलिस और प्रशासन का सवाल है, उनका रवैया भी ढिलमुल रहता है। डॉ. आम्बेडकर, जोतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बाद इनकी रक्षा के लिए कोई आंदोलन या अभियान नहीं हुआ है।

भेदभाव और अत्याचारों की ये घटनाएं गांवों तक सीमित नहीं हैं। बल्कि महानगरों में स्थित अत्यंत प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों में भी यही हो रहा है। इन संस्थाओं में भेदभाव इतना है कि अनेक मामलों में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं।

सन् 2021 के दिसंबर माह में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने संसद में बताया कि पिछले सात वर्षों में 122 छात्रों ने देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं में आत्महत्या की। इनमें दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम छात्र शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या दलितों की थी। आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत करने वाले छात्र आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कालेजों के थे। इन 122 छात्रों में से 3 आदिवासी, 24 दलित और 3 अल्पसंख्यक थे। आत्महत्या करने वाले 34 छात्र आईआईटी या आईआईएम में अध्ययनरत थे। तीस छात्र विभिन्न राष्ट्रीय तकनीकी संस्थाओं के थे।

सन् 2016 के जनवरी माह की 17 तारीख को हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी अध्येता रोहित वेम्युला ने आत्महत्या की थी। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरूद्ध अनेक शिकायतें की थीं। वर्ष 2019 में टोपीवाला नेशनल मेडिकल कालेज, मुंबई की छात्रा पायल तडवी ने आत्महत्या कर ली। तडवी ने कालेज में उच्च जाति के छात्रों द्वारा सतत भेदभाव और सताये जाने की शिकायत की थी। वेम्युला और तडवी दोनों दलित थे। दोनों की आत्महत्या के बाद उठे तूफान के मद्देनजर अपेक्षा थी कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में दलित विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार में कुछ अंतर आयेगा। परंतु उसके बाद से लेकर आज तक जो आंकड़े सामने आये हैं उससे लगता है कि स्थिति जस की तस है, बल्कि कहें बदतर हो गयी है। एक संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के अनुसार एम्स दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र लगातार परीक्षा में फेल हो रहे हैं। इसका कारण उनके साथ होने वाला भेदभाव है।

यह बात संसद की एससी–एसटी कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद प्रेम जी भाई सोलंकी ने भी स्वीकार की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने तक में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश के 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से सिर्फ एक में अनुसूचित जाति और एक में अनुसूचित जनजाति का कुलपति है। भेदभाव की यह स्थिति सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थाओं तक सीमित नहीं है बल्कि लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं में विद्यमान है।

वर्ष 1942 में केनडा में भाषण देते हुए डॉ. बी. आर. आम्बेडकर ने भारत में दलितों की समस्या की चर्चा करते हुए दो मुख्य बातों का उल्लेख किया था। उन्होंने पहली बात यह कही थी कि जाति व्यवस्था, साम्राज्यवाद से ज्यादा खतरनाक है और भारत में जातिप्रथा समाप्त होने के बाद ही शांति और व्यवस्था कायम हो पायेगी। दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि भारत में यदि किसी वर्ग को स्वतंत्रता की असली दरकार है तो वे दलित हैं।

आज भी यही स्थिति है। दलितों की दुर्दशा एक बार फिर उस समय उजागर हुई जब गत 12 फरवरी को 18 वर्षीय दलित छात्र दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या कर ली। वह आईआईटी बंबई का छात्र था। उसने छात्रावास की सातवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। इस घटना ने पूरे देश में दलितों की स्थिति के बारे में सवाल खड़े कर दिये हैं।

दर्शन आईआईटी बंबई में बीटेक प्रथम वर्ष (केमिकल इंजीनियरिंग) का छात्र था। उसने तीन माह पहले ही इस संस्था में प्रवेश लिया था। आत्महत्या करने के कुछ दिन पहले वह घर गया। आत्महत्या करने के एक माह पहले उसने अपने परिवार को बताया था कि उसे कालेज में प्रतिकूल वातावरण का सामना करना पड़ रहा है विशेषकर उसके सहपाठियों को यह पता लगने के बाद कि वह अनुसूचित जाति का है। उसे यह कहकर चिढ़ाया जाता था कि वह निशुल्क शिक्षा पा रहा है। उसकी मां ने बताया कि उसे अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उसे तरह–तरह से सताया जाता था। (संवाद)

पुलिस अभिरक्षा में हत्या–कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर हमला

आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश), 16 अप्रैल 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व ने गत रात पुलिस अभिरक्षा में और रिमांड पर लिये चर्चित आरोपी भाइयों की इलाहाबाद में सुनियोजित तरीके से षडयंत्रपूर्वक हत्या को न्याय और न्यायिक प्रणाली पर गहरा हमला बताया है। एक संयुक्त बयान में नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून और कानून का शासन छिन्न भिन्न कर दिया गया है। मार देंगे, ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे की भाषा कोई और नहीं प्रदेश सरकार का मुखिया बोल रहा है। इन बातों से उत्तर प्रदेश में सरकार प्रायोजित भय और दमन के आतंक का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

स्पष्टतः एक तबके पर निर्मम जुल्म की ये वारदातें उन भोले भाले नागरिकों को भाजपा का वोट बैंक बनाये रखने की साजिश है, जिनको कि संघ परिवार ने साजिश के तहत षडयंत्रपूर्वक तात्कालिक तौर पर अपने प्रभाव में ले लिया है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि लखीमपुर में किसानों पर जीप चढ़ा देने वाले भाजपा के गृह राज्यमंत्री के बेटे, कानपुर में मां बेटी के हत्यारे और उन सजातीय सधर्मी माफिया सरगनाओं को कब मिट्टी में मिलाया जायेगा जिनकी सूची मीडिया और सोशल मीडिया पर खुल कर वायरल हो रही है। ये संयोग है या प्रयोग कि पुलवामा कांड में प्रधानमंत्री की घृणित भूमिका के खुलासे से मचे तूफान के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी ज्वलंत समस्याओं पर पर्दा डालने का भी यह एक सुनियोजित प्रयास है। ये घटना कानून व्यवस्था के विनष्ट होने का स्पष्ट सबूत है, जिसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए निर्धारित मशीनरी के ऊपर आती है। जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और डीजीपी को हटाया जाना चाहिए। नहीं तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये सरकार के मुखिया को त्यागपत्र देना चाहिये। निषेधाज्ञा और उसके प्राविधानों से भी आगे बढ़ कर सरकार द्वारा दी जा रही धमकियों से लोकतांत्रिक और देशभक्त शक्तियां डरेंगी नहीं और मिल कर आवाज उठायी जायेगी। वामदल इस पर शीघ्र चर्चा करेंगे। यह बयान भारतीय कम्युनिस्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. गिरीश, राज्य सचिव अरविन्द राज स्वरूप, राज्य सचिवमण्डल के सदस्य इम्तेयाज अहमद, पूर्व विधायक, राज्य कार्यकारिणी सदस्य हामिद अली एडवोकेट एवं उत्तर प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने आजमगढ़ से जारी किया।

नेतृत्व के ये साथी यहां भाकपा जिला काउंसिल की बैठक में मार्गदर्शन करने हेतु आये थे।

भू–सुधार का दोषपूर्ण क्रियान्वयन और अवितरित प्रचुर अधिशेष भूमि

डा. सोमा मार्ला

भारत में लाखों ग्रामीण गरीबों की आजीविका के लिए जमीन का स्वामित्व जरूरी है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता के सात दशकों के बाद भी, अधिकांश भूमि अमीर किसानों के पास है, हालांकि छोटे किसान, भूमिहीन गरीब, किसान समुदाय का 80 प्रतिशत हिस्सा हैं, भूमिहीन गरीबों के पास नाममात्र की जमीन है। नतीजतन, गांवों में जमीन की मिल्कियत में गैरबराबरी गरीबी उन्मूलन में एक बड़ी बाधा बन गई है और कृषि उत्पादन और उत्पादकता में बाधा बढ़ती जा रही है।

शुरुआत में भूमि सुधार का मकसद जोतने वाले को जमीन मुहैया कराने का था, यह एजेंडा काफी हद तक एक अधूरा रहा। विभिन्न सरकारों ने आसानी से भूमि सुधारों के कार्यान्वयन की उपेक्षा की है और भूमि सुधार के एजेंडे को भी उलट दिया है। नवउदार आर्थिक सुधारों ने भूमि और भोजन को बाजार में खरीद–परोख्त की चीज बना दिया है, जिससे दक्षिण एशिया में लाखों गरीब किसानों और भूमिहीन ग्रामीण गरीब न्यूनतम आजीविका से वंचित हुए।

भारत में आजादी के तुरंत बाद जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया था और जोतदारों को जमीन वितरित करने की मंशा से भूमि सुधारों की पेशकश की गई।

भूमि सुधार का मूल मकसद भूमिहीन को कुछ जमीन देकर छोटे किसान में बदलना था। लेकिन अब हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां भूमिहीन लोगों को जमीनें वितरित नहीं की जा रही पर छोटे और मध्यम किसानों की जमीन तेजी से जा रही है। हालांकि, भारत में सरकारें आजादी के सात दशक बाद भी भूमि सुधारों के लिए प्रतिबद्धता की बात लगातार दोहरा रही है। यह सच है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही यह बात कह रही हैं। यह भारत की विकास नीति के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलुओं में से एक रहा है। हरित क्रांति ने 60 के दशक के अंत में दस्तक दी, हालांकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन साथ ही गांवों में छोटे, सीमांत किसानों और अमीर किसानों के बीच असमानताओं को बढ़ाया है।

असमान भू–स्वामित्व

भूमि सुधार आंदोलन 1950 के दशक की शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शुरू किया गया था, तेलंगाना और पुन्नप्रवालार के किसान आंदोलन की बदौलत जमींदारों की लगभग 10 लाख एकड़ जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था और ये जमीनें हजारों भूमिहीन गरीबों में वितरित कर दी गई थी। 1960 और 70 के दशक के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने फिर से भूमि सुधार को एक प्रमुख एजेंडा बनाया। इन आंदोलनों ने भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के मामले को लागू करने के लिए मजबूर कर दिया।

इसके परिणामस्वरूप, कुछ राज्यों में कानून बनाए गए, चकबंदी लगाई गई और जमींदारों से कुछ भूमि अधिग्रहित की गई। भूमि सुधार कार्यान्वयन आधे दिल से किया गया था। अंततः, इससे गांवों में भूमि स्वामित्व की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। अधिकांश भूमि धनी और मध्यम किसानों के हाथों में रही। पिछड़े और दलित वर्ग के छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए केवल एक छोटा सा हिस्सा ही हासिल हो सका। विभिन्न राज्यों की भू–सुधारों में क्रियान्वयन की विफलता के कारण गांवों में गरीबी और बेरोजगारी काफी हद तक अनसुलझी रही। 2020 तक, छोटे और सीमांत किसानों (जो कि कृषि समुदाय का 84.2 प्रतिशत हिस्सा हैं) के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है। छोटे और सीमांत किसानों के पास कुल फसल क्षेत्र का केवल 47.3 प्रतिशत फसल क्षेत्र है, जबकि जबकि अल्पसंख्यक बड़े और मध्यम किसानों के पास फसल क्षेत्र का शेष 52.7 प्रतिशत है।

उदाहरण के लिए, 1973 का तेलंगाना भूमि सुधार (भूमि सुधार अधिनियम) कानून से कृषि भूमि पर भूमि सीमा लगाई गई थी और अतिरिक्त जमीन (भूदान भूमि सहित) को सरकार ने जब्त कर लिया गया था। हालांकि, कृषि योग्य भूमि का केवल 2.1 प्रतिशत भूमि गरीबों में वितरित किया गया। अधिकांश जमीन या तो बड़े और अमीर किसानों के कब्जे में रहती है या कानूनी और नौकरशाही मुकदमों में उलझ जाती है। अतिरिक्त जमीन का भूमिहीन जोतदारों को वितरण का विचार ही अधूरा रहा।

नैशनल सैम्पल सर्वे (भारत) 2020 के आंकणों के अनुसार

कृषि समुदाय के 84.2 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के पास फसल क्षेत्र का केवल 47.3 प्रतिशत हिस्सा है।

किसानों के 13.8 प्रतिशत अमीर बड़े किसानों के पास फसल क्षेत्र का 52.7 प्रतिशत हिस्सा है।

विभिन्न राज्यों में भूमि स्वामित्व में भारी फरक है।

पंजाब और बिहार में 10 प्रतिशत अमीर भू–स्वामियों के पास 80 प्रतिशत जमीन है।

वहीं तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक में 55 प्रतिशत खेती की जमीन अमीर दस प्रतिशत परिवारों के पास है।

40 लाख लोग या 56.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कोई जमीन नहीं है। (राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे, 2018)

खेती जमीन का लगभग 48.9 प्रतिशत सिंचित भूमि है बाकि सूखी जमीन की खेती मानसून पर निर्भर है।

कुल फसल क्षेत्र की लगभग 82 प्रतिशत उर्वर एवं सिंचित जमीन शीर्ष अमीर किसानों के पास है।

छोटे, सीमांत किसानों के पास उर्वर जमीन कम है, उनके पास की ज्यादतर जमीन बारिश पर निर्भर है।

छोटे किसानों का गरीब होना

अधिकांश संख्या में किसान मजदूरी करके अपनी जिंदगी का निर्वाह कर रहे हैं और खेत मजदूर बन गए हैं। यह दिखाता है कि गावों में किसानों की अपनी जमीनो को खोने के बाद गरीबी बढ़ी है।

छोटे और मझोले किसानों की जमीन खोने के कई कारण हैं। उर्वरकों, डीजल, बीज कृषि लागत में वृद्धि के कारण छोटे किसानों का लगातार बाजार और बड़े कृषि व्यवसायी कंपनियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। दूसरी ओर, बाजारों में परिश्रम और लागत के अनुसार फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के न मिलने के कारण छोटे किसान ग्रामीण कर्ज के जोखिम में हैं। यह जलवायु परिवर्तन से अधिक अनियमित वर्षा और मौसमी बदलाव के साथ और भी अधिक हानिकारक साबित हुआ। छोटे किसान बाजारों में दिवालिया हो गए। समग्र विकास मॉडल केवल इस दिशा में आगे बढ़ा है जहां कृषि अर्थव्यवस्था के मुख्य चारों तत्व लागत, भूमि स्वामित्व, बाजार और वितरण पर बड़ी कृषि व्यवसायी कंपनियों, सुपर मार्केट चेनों, कॉर्पोरेट खेती से एकाधिकार बढ़ता जा रहा है।

हाल ही में 2014 का भूमि अधिग्रहण कानून और तीनों कृषि कानून छोटे किसानों को विस्थापित करने और उनकी जमीनो को कॉर्पोरेट कंपनियों को सौंपने के लिए हैं। इस तरह से भूमि सुधारों की कवायद को बड़े कॉर्पोरेटों को फायदा पहुंचाने के लिए पलट दिया गया है।

किसानों की आय

किसान परिवारों की 2018–19 में औसतन मासिक कुल आय मात्र 8,337 रुपये थी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है अब किसान परिवारों की मासिक आय का लगभग आधा हिस्सा दूसरे के खेतों में काम करके कमाई गई मजदूरी का है। यह खेती करने वालों के बीच एक बड़ा बदलाव है की अब उनकी कमाई खेती से नहीं है लेकिन मजदूरी, दुग्ध पालन और मुर्गी पालन से होती है। किसान परिवारों की आय का मुख्य स्त्रोत मजदूरी के होते जाने से खेती बंद हो रही है। यह हालत खेती में लगे उन परिवारों की है जिनके पास खेती की एक हेक्टेयर से कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 56 से 70 प्रतिशत है। बड़े कृषि कारोबारियों और बहु राष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विस्थापन के माध्यम से संचयन करना मौजूदा कृषि संकट का कारण है।

जोतदार किसानों की बढ़ती संख्या

किसानों की जमीन खोने और उनके गरीब होने के कारण हैं–खेती में ऊंची लागत, फसलों पर कम न्यूनतम समर्थन मूल्य। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1273 लाख भूमिहीन किसान थे। 2011 की जनगणना के अनुसार एक दशक के दौरान भारत में किसानों की संख्या में 86 लाख की कमी आई है। इस संख्या के हिसाब से एक दिन में 2300 से अधिक किसान कम हुए या हर घंटे में लगभग एक सौ किसानों की संख्या कम हुई। यह बड़ी गिरावट है।

भूमिहीन और छोटे किसान किराये पर जमीन लेकर जोतदार बन गए हैं और तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इनकी संख्या लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इन जोतदार किसानों को सरकार से मिलने वाले फायदों जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान, रयतु बंधु, बीज, उर्वरक सब्सिडी, फसल नुकसान राहत मुआवजा और अन्य राहतों से वंचित किया जाता है। इसके अलावा खेती पर लगी उच्च लागत के बाद मिली कमाई का लगभग आधा हिस्सा भूमि मालिकों देना पड़ता है, इससे जोतदार किसानों के पास अपने घरों के लिए बहुत कम बचता है।

परिणामस्वरूप गंभीर कृषि संकट को न सहन कर पाने के कारण छोटे किसान खेत मजदूरों की फौज में शामिल हो रहे हैं या शहरी क्षेत्रों की ओर पलायान कर रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं।

2000 से 2020 के बीच पिछले दो दशकों के दौरान लगभग साढ़े तीन लाख किसानों ने अपनी जीवनलीला का अंत किया।

भूमि स्वामित्व और औरतें

खेती में काम का लगभग 60 प्रतिशत बीज बोने, निराई–बुवाई, पौधरोपण, कटाई, पशु पालन और कटाई के बाद का काम महिलाएं करती हैं। तिस पर भी उनकी मेहनत का कोई हिसाब–किताब नहीं होता या फिर मेहनताने की मजदूरी का तीस प्रतिशत उन्हें मिलता है।

हदबंदी की अतिरिक्त भूमि का वितरण

पूरे भारत में, जमींदारी और सामंती भूमि स्वामित्व को समाप्त करने और आंशिक रूप से लागू भूमि सुधारों के तहत भूमि के सरकारी अधिग्रहण के बाद 68,72,824 एकड़ भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया था।

इसमें से 60,27,180 एकड़ भूमि सरकार के कब्जे में ले ली गई थी और 2006 तक 48,99,893 एकड़ भूमि भूमिहीन लोगों में वितरित की गई थी। इन आंकड़ों के हिसाब से चिन्हित हदबंदी की अतिरिक्त भूमि का केवल 71 प्रतिशत भूमिहीनों के बीच वितरित किया गया था।

भूमि का वितरण पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा (कम्युनिस्ट वाम सरकारों) और जम्मू–कश्मीर राज्यों में किया गया था। आजादी के तुरंत बाद ही तेलंगाना और पुन्नप्रवलयार के भीषण किसान आंदोलनों के दौरान जागीदारों से जमीन का एक बडा हिस्सा मुक्त कर लिया था और भूमिहीनों के बीच बाँट दिया था। राज्य सरकारों ने (हालांकि आंशिक रूप से) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भूमि सुधार लागू किए थे। 1960 और 1970 के दशक में बिहार, त्रिपुरा, पंजाब, तमिलनाडु में अखिल भारतीय किसान सभा, बीकेएमयू और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भूमि अधिग्रहण आंदोलन चलाया था।

अधिकांश भूमि (दान की गई भूदान भूमि सहित) अभी भी सरकार या अमीर भू स्वामियों के पास है, जो लंबी कानूनी, नौकरशाही प्रक्रियाओं और मुकदमों में फंसी हुई है। भूमि सुधारों की स्थिति पर एक दशक पहले आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति का आँकलन था कि राज्य में प्रति भूमिहीन परिवार के लिए अतिरक्त भूमि में से 1.0 एकड़ भूमि वितरित की जा सकती है।

ये आँकड़े सपष्ट दिखाते हैं कि अधिशेष जमीन पर्याप्त मात्रा में है जो कि भूमिहीन और छोटे किसानों के बीच वितरित की जा सकती है। जब तक भूमि सुधार सच्चे मन से लागू नहीं किए जाते गाँवों से बेरोजगारी और गरीबी का अंत शायद संभव नहीं होगा। ग्रामीण भारत में संपन्नता के लिए जोतदार को जमीन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

भाकपा का भाजपा हटाओ–देश बचाओ अभियान

बिलासपुर (छत्तीसगढ़) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 14 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 संपूर्ण भारत भर में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी आभियान के तहत 18 अप्रैल 2023 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय वार्ड नंबर 43 बंसीलाल घृतलहरे नगर बूटापारा बिलासपुर में शाम 6 बजे से आमसभा कर लोगों को जागरूक किया।

सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ भाकपा नेता ध्रुव धूरी ने की। सर्वप्रथम सभा को नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत शर्मा ने संबोधित करते हुए देश में बढ़ती बेरोजगारी को नौजवानों के भविष्य के लिए खतरनाक बताया साथ सार्वजनिक इकाइयों का निजीकरण किए जाने पर केंद्र पर निशाना साधा एवं बेरोजगारी भत्ता और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में लम्बे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिको को राज्य सरकार परमानेंट करे की मांग भी की। एआईएफएफ के राज्य परिषद सदस्य संत निराला ने अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार को महंगाई बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराते हुए जीवन उपयोगी आवश्यक दाल चावल आटा कपड़ा व अन्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने पर केंद्र सरकार की घोर निन्दा की और महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की जनविरोधी छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।

भाकपा जिला सचिव पवन शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए किसानों और मजदूरों को एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कारपोरेट घरानों की कठपुतली सरकार है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर की और साथ ही कारपोरेट घरानों के टैक्स माफी पर सवाल उठाए और देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, गैर बराबरी, धार्मिक उन्माद बढ़ने के लिए केंद्र सरकार की फासीवादी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही वर्षो से भूमि पर काबिज लोगो को पट्टा देने और मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपया देने की मांग की।

कोरबा

सभा में लोकप्रिय एमआईएस मेंबर सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस के जुझारू नेता परदेशी राज जी (पाषर्द वॉर्ड संख्या 43) की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आमसभा में मुख्य रूप से पवन शर्मा, ध्रुव कुमार धूरी, दिलीप धूरी, विक्रम शर्मा, पुनाराम धूरी, संत निराला, गोकुल चौहान, पावेल शर्मा, साधु राम धूरी, संतराम धूरी, मंतराम धूरी, रवि शर्मा बाबूलाल केवट आदि मौजूद थे।

कोरबा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोरबा द्वारा सुभाष चौक निहारिका में धरना प्रदर्शन किया गया, भाजपा भगाओ कम्युनिस्ट पार्टी लाओ, संविधान बचाओ– देश बचाओ– लोकतंत्र बचाओ, कोरबा जिले को प्रदूषण मुक्त करो के नारे के साथ जिला सचिव पवन कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया।

उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार द्वारा संविधान लोकतंत्र के अस्तित्व धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के हमारे गणतंत्र की मुख्य मूल्यों को कुचला जा रहा है, जाति अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्रोनी पूंजीवाद हमारे देश के मूल्य संसाधनों को खा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिल रहा है लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्रोनीवाद सामने आया है। उन्होंने मांग की कि अदानी ग्रुप की कंपनियों को सरकार एक संसदीय कमेटी गठन कर इसकी जांच करें हमारे देश के लोगों के श्रम और रोजगार से बनी राष्ट्रीय संपत्तियों को चंद चुनिंदा लोगों को औने–पौने दामों में बेचना बंद करे, बंदरगाहों, देश के हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बैंकों, जीवन बीमा निगम सहित तमाम नवरत्न एवं महानवरत्न कंपनियों को अपने कारपोरेट मित्रों के हवाले कर रही है इन संस्थानों में देश की जनता का पैसा लगा है इस पैसे को जनहित के लिए इस्तेमाल करने के बजाए चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि देश के आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, आज हर एक विरोध को राष्ट्रीय विरोध करार कर दिया जाता है।

इस आंदोलन में उपस्थित पूर्व जिला सचिव दीपेश मिश्रा, सहायक जिला सचिव रेवत प्रसाद मिश्रा, सहायक जिला सचिव अनूप सिंह, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, के पी डडसेना, एसके प्रसाद, एनके दास, सुभाष सिंह, कमर बख्श, ज्ञानचंद साहू, आर पी मिश्रा, राममूर्ति दुबे, सी के सिन्हा, परदेसी साहू, नरेश खुटे, शशि नायर, मनीराम खांडे, घनश्याम पटेल, संतोषी बरेढ, विजयलक्ष्मी चौहान, इंद्राणी श्रीवास, बबली बरेढ, रंभा भाई, बुधवारी सारथी, शिवकुमार, संजीव राय, परदेसी साहू, मोहन कर्ष मुनीराम लाठिया, रामलाल देवांगन, सीदाम दास आदि सैकड़ों साथी उपस्थित थे।

मढौरा (सारण) बिहार

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य परिषद् के आह्वान पर भाकपा की मढ़ौरा इकाई की ओर से भाजपा हटाओ, देश बचाओं के नारे के साथ पदयात्रा प्रारंभ की गयी। ओल्हनपुर पंचायत के विभिन्न ग्रामों में तथा बैदापुर, ऐमाशेखपुरा, ओल्हनपुर, उजरी सेंदुआरी आदि ग्रामों में पदयात्री भाकपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में लाल झंडा लिए तथा बैनर लिए भ्रमण किया। उपरोक्त ग्रामों की पदयात्रा में भारतीय जनता पार्टी हटाओ, देश बचाओ के साथ बेरोजगारी एवं महंगाई पर रोक, मढ़ौरा चीनी मिल को चालू करो आदि मांगों से संबंधित नारे भी लगाए गए पदयात्रा का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद् सदस्य रामबाबू सिंह, भरत राय, संजीव कुमार सिंह, मिथुन कुमार, संजय कुमार, मनोज यादव, मिश्री राय, विजय प्रसाद यादव, नौजवान नेता अशोक कुमार आदि कर रहे थे। बजरंग बाजार पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता रामबाबू सिंह ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एवं अमीरी गरीबी के बीच बढ़ती खाई को समाप्त करने हेतु 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को धूल चटाना समय की मांग है। मढ़ौरा चीनी मिल को चालू करने से संबंधित एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

ग्वालियर

कामरेड बोम्मगानी वेंकटैया नहीं रहे

स्वतंत्रता सेनानी, भाकपा के वरिष्ठ नेता और ताड़ी निकालने वालों के आंदोलन के नेता कामरेड बोम्मगानी वेंकटैया, (98) का मंगलवार को निधन हो गया। उनके तीन बेटे और दो बेटियां थीं। उनका पूरा परिवार कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वह दिवंगत धर्मभिक्षाम, पूर्व सांसद और तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के नेता के भाई हैं। उनके पहले बेटे प्रभाकर भाकपा के राज्य कार्यकारी सदस्य, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के राष्ट्रीय महासचिव, उनके दूसरे बेटे नागभूषणम राज्य शिक्षक संघ के नेता हैं, तीसरे बेटे श्रीनिवास भाकपा, सूर्यापेट शहर इकाई के सचिव हैं।

उनकी दोनों बेटियों निर्मला और अरुणा के परिवार भी कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कामरेड वेंकटैया के पोते किरण प्रजा पक्षम के उप–संपादक हैं। कामरेड वेंकटैया ने रामुलम्मा से अपनी शादी के अगले ही दिन आंध्र महासभा की बैठक में भाग लिया था। यह पार्टी संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। सूर्यापेट क्षेत्र में कम्युनिस्ट आंदोलन खड़ा करने के अलावा, उन्होंने ताड़ी निकालने वालों के लिए आंदोलन खड़ा किया और उनके लिए एक समाज बनाया। उन्होंने चार दशकों तक समाज की सेवा की है। वह अपनी इमारतों का निर्माण कर सकते थे। उन्होंने ताड़ी के जहर को भी उगाया है। वह लंबे समय तक इस संगठन के अध्यक्ष रहे। वह गौरवशाली ऐतिहासिक तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में दल कमांडर थे। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। अस्पताल ले जाते समय उन्होंने अंतिम सांस ली।

पूर्व भाकपा महासचिव सुरावरम सुधाकर रेड्डी ने उन्हें एक शोक संदेश भेजा। भाकपा राज्य सचिव के संबासिवा राव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सी वेंकट रेड्डी, राज्य सचिवमंडल सदस्य पल्ला वेंकट रेड्डी, राज्य के बिजली मंत्री जी जगदीश रेड्डी, सूर्यपेट नगर निगम के चैयरमेन और वाइस चैयरमेन पी अन्नपूर्णा और पी किशोर, स्वतंत्रता सेनानी डी नारायण राव, एनएफआईडब्ल्यू की राज्य अध्यक्ष यू सजृना, खम्माम और नालगौंडा भाकपा के जिला सचिव एन सत्यम और पी प्रसाद, एटक के पूर्व महासचिव वी रत्नाकर राव, भाकपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य जी चन्द्रशेखर, एटक के राज्य सचिव एस बलराज आदि ने उन्हें भावनपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम

आर.एस. यादव

रेलवे के संबंध में प्रधानमंत्री का भ्रामक दावा

12 अप्रैल 2023 को अजमेर–दिल्ली छावनी वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि रेलवे में हालात 2014 के बाद बदलने शुरू हुए जब देश के लोगों ने केंद्र में स्थिर सरकार बनाई। क्या प्रधानमंत्री समझते हैं कि 1947 के बाद केंद्र में जो सरकारें रही हैं वे स्थिर नहीं थी? यदि वे ऐसा समझते हैं तो गलत समझते हैं।

अजमेर–दिल्ली छावनी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में दावा किया जा रहा है कि इससे अजमेर और दिल्ली के बीच सफर बहुत आसान और आरामदेह हो गया है। इस दावे में कोई खास दम नजर नहीं आता। वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर से दिल्ली का 429 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 15 मिनट में पूरा करेगी। अर्थात इसकी औसत स्पीड 82 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह केवल जयपुर, अलवर और गुड़गांव में रूकेगी। अजमेर से दिल्ली का किराया सामान्य कोच में 1250 रुपए और एक्जीक्यूटिव श्रेणी के कोच में 2270 रुपए प्रति व्यक्ति है।

इसकी तुलना अजमेर और दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस से करें। जनशताब्दी एक्सप्रेस 5 बजकर 40 मिनट पर अजमेर से रवाना होकर किशनगंज, फुलेरा, रींगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुडगांव और दिल्ली छावनी रूक कर 11 बजकर 35 मिनट पर दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंच जाती है, यानी 6 घंटे 5 मिनट में दिल्ली पहुंच जाती है। जनशताब्दी एक्सप्रेस का अजमेर से दिल्ली का किराया 2एस श्रेणी में 180 रुपए और एसी चेयर कार श्रेणी में 605 रुपए है।

वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया गैर–एक्जीक्यूटिव श्रेणी में जनशताब्दी के 2एसी श्रेणी के किराये से लगभग सात गुना ज्यादा है। जहां तक समय की बात है तो जनशताब्दी एक्सप्रेस को अगर नौ स्थानों के बजाए वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह केवल तीन स्थानों पर ही रोका जाए और उसे वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह अन्य गाड़ियों पर प्राथमिकता देकर चलाया जाए तो उसका समय भी वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा समय के बराबर ही आ जाएगा। तो फिर किस बात के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का गुणगान? क्या इसलिए कि उसमें यात्री सात गुना किराया देगा?

वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में यह भी गुणगान किया जा रहा है कि यह प्रधानमंत्री के ''मेक इन इंडिया'' इनिशिएटिव की उपलब्धि है। यह दावा मिथ्या है। वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचों का डिजाइन और निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्टरी पैरम्बूर (चेन्नई) में किया गया है जहां पिछली सदी के छठे दशक से ही कोचों का निर्माण किया जा रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंटीग्रल कोच फैक्टरी का निर्माण कराया था। 1955 में उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था। तब से इन्टीग्रल कोच फैक्टरी कोच निर्माण का काम करती आ रही है। अतः वंदे भारत एक्सप्रेस के निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री के ''मेक इन इंडिया'' इनिशिएटिव को देना सरासर मिथ्या है।

अवश्य ही समय के साथ टेक्नोलॉजी विकसित होती रही है। 1950 के दशक में कोच निर्माण में जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी थी उसमें लगातार बदलाव होते रहे हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच डिजाइन और टेक्नोलॉजी में उस निरंतर बदलाव के प्रतीक हैं। इसके लिए वर्तमान सरकार या प्रधानमंत्री के गुणगान करने का कोई औचित्य नहीं।

यह जानना उचित होगा कि रेलवे में मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों की रनिंग स्पीड सामान्यतः 110 किलोमीटर प्रतिघंटा है। परंतु अनेक स्टेशनों पर रूकने के कारण उनकी पूरी यात्रा की औसत स्पीड कम हो जाती है। अतः अजमेर–दिल्ली छावनी वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड और यात्रा समय के बारे में किसी लंबे–चौड़े दावे का भी कोई औचित्य नहीं।

वास्तवकिता यह है कि जिस गाड़ी को प्रधानमंत्री द्वारा झंडी दिखा कर रवाना किया गया और जिसके संचालन पर रेलवे के शीर्षस्थ अधिकारी स्वयं निगरानी रख रहे थे वह पहले ही दिन गुडगांव स्टेशन पर 50 मिनट लेट आई थी।

जहां तक रेलवे में 2014 के बाद हालात बदलने की बात है, हालात जरूर बदले हैं। हालात पहले से बदतर हो गए हैं। रेलवे की बदतरी का यह हाल है कि कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद जब रेल सेवाएं बंद की गई थी, उसके बाद अब तक लगभग तीन वर्ष गुजरने को है परंतु रेल सेवाएं अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं हुई हैं। अनेक रेलगाड़ियां जिन्हें 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा के दिन बंद किया गया था अभी तक नहीं चली हैं।

रेलवे के हालात बेहतर होना तो दूर रहा, 2014 के बाद अनेक रेलगाड़ियों का संचालन कारपोरेट घरानों के हवाले कर दिया गया है। इस मामले में अडानी कारपोरेट घराने पर खास मेहरबानी की गई है। अनेक मालगाड़ियां अडाणी घराना चला रहा है जिन्हें भारतीय रेल को चलाना चाहिए।

मोदी सरकार रेलवे को बेहतर बनाने के बजाय रेलवे के कामकाज और उसकी संपत्तियों को निजी कंपनियों और कारपोरेट घरानों के हवाले करने में दिलचस्पी ले रही है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के नाम पर रेलवे की जिन संपत्तियों को बेचा जा रहा है उनमें 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेनें, 1400 किलोमीटर लंबी रेल पटरी, रेलवे के 265 मालगोदाम, रेलवे की अनेक आवासीय कालोनियां, रेलवे के 15 स्टेडियम जैसी संपत्तियां भी शामिल हैं। क्या इसी के लिए प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि 2014 के बाद रेलवे के हालात बेहतर हो गए हैं?

असलियत तो यह है कि मोदी सरकार ने रेलवे को बर्बाद कर दिया है। हालत यह हो गई है कि केंद्रीय बजट 2023–24 में दी गई जानकारी के अनुसार, 2021–22 वर्ष में रेलवे 100 रुपए कमाने के लिए 107.39 रुपए खर्च कर रही थी। कोई संस्थान यदि 100रुपए कमाने के लिए 107.39 रुपए खर्च करे, तो क्या उसका अर्थ यह नहीं है कि संस्थान बर्बादी के कगार पर ही नहीं पहुंच रहा है बल्कि बर्बाद हो चुका है?

रेलवे की ऐसी दुर्दशा आजादी के बाद कभी नहीं हुई। मोदी सरकार को इसका श्रेय (?) जाता है कि उसने रेलवे को इस हद तक बर्बाद कर दिया है।

महंगाई और मजदूरी

जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है महंगाई लगातार आसमान छूती रही है जब कि आम लोगों की आमदनी में उतनी वृद्धि नहीं हुई है और इस कारण उनकी क्रयशक्ति लगातार कम होती रही है। खासतौर पर इन वर्षों में ग्रामीण मजदूरी लगातार कम होती रही है।

महंगाई और ग्रामीण मजदूरी के संबंध में निम्न दो ग्राफ इस हकीकत को सुस्पष्टतः व्यक्त करते हैं:

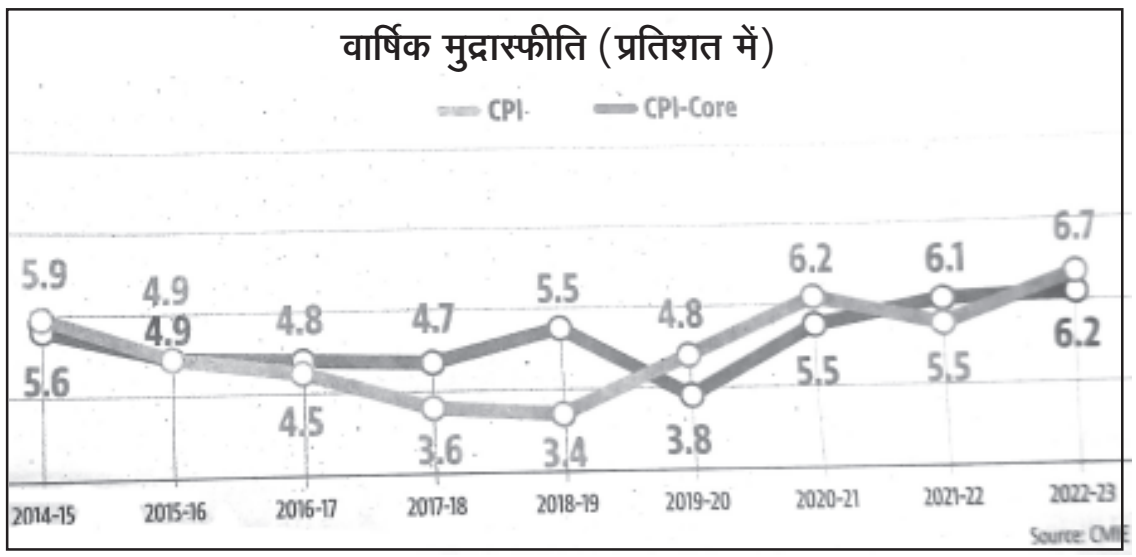

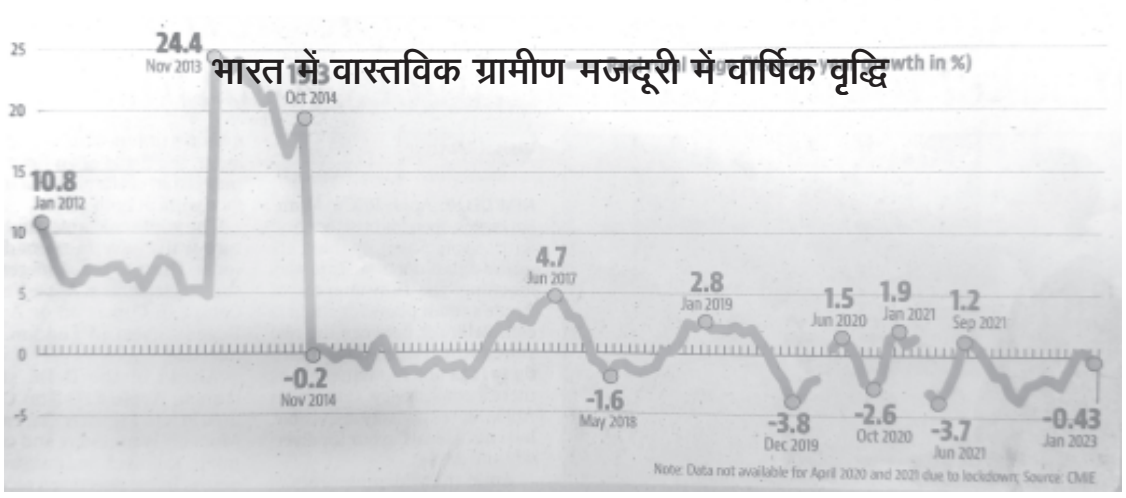

हिन्दुस्तान टाइम्स (20 अप्रैल 2023) से उद्धृत एवं सीएमआईई द्वारा तैयार उपरोक्त ग्राफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

मुद्रास्फीति संबंधी ग्राफ से साफ देखा जा सकता है कि पिछले वर्षों में महंगाई लगातार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहनीय 4 प्रतिशत से ऊपर रही है।

ग्रामीण मजदूरी संबंधी ग्राफ से देख सकते हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है अधिकांश वर्षों में ग्रामीण मजदूरी पहले के मुकाबले घटी है। महंगाई में वृद्धि और आमदनी /मजदूरी में कमी आने से आम आदमी पर जो गुजरती है, वही जानता है।

दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना भारत

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, भारत 142.8 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसारः

1. भारत की आबादी पिछले साल (2021) में 141.12 करोड़ थी।

2. भारत में 15–64 आयु वर्ग वाली आबादी (जिसे कामकाजी आबादी समझा जाता है) 68 प्रतिशत है।

3. भारत में 15 –24 आयु वर्ग की आबादी लगभग 25.4 करोड़ है जो विश्व में सबसे अधिक है।

4. भारत में जीवन संभावना पुरूषों में 71 वर्ष और महिलाओं में 74 वर्ष है।

5. विभिन्न आयु वर्ग के लिहाज से आबादी का प्रतिशत इस प्रकार हैः

आयु वर्ग	आबादी
0–14 वर्ष	25 प्रतिशत
10–19 वर्ष	18 प्रतिशत
10–24 वर्ष	26 प्रतिशत
15–64 वर्ष	68 प्रतिशत
65 वर्ष से ऊपर	7 प्रतिशत

6. भारत में प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (2019–21) के अनुसार, भारत में 2.0 की सकल प्रजनन दर हासिल कर ली है जो 2015–16 के सर्वे में 2.2 प्रतिशत थी।

7. पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार, भारत में जनसंख्या विकास की दर 1972 में 2.3 प्रतिशत थी जो अब घटकर 1 प्रतिशत से भी कम हो गई है। इस अवधि में प्रति महिला बच्चों की संख्या 5.4 से गिरकर 2.1 हो गई है।

संविधान बचाओ– लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ कन्वेंशन

2024 में मोदी को उखाड़ फेंकने का एक स्वर में संकल्प

शरद कुमार सिंह

दरभंगा, 15 अप्रैल 2023: संविधान बचाओ–लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ कन्वेंशन का आयोजन आज लहेरियासराय स्थित प्रेक्षा गृह में आयोजित किया गया।

कंवेंशन की अध्यक्षता सीपीआई जिला सहायक सचिव राजीव कुमार चौधरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीता राम चौधरी, राजद जिला अध्यक्ष उमेश राय, सीपीएम नेता सुधीर कांत मिश्रा, माले जिला कमेटी सदस्य साधना शर्मा, हम के प्रो बैजू बाबरा ने की तथा कन्वेंशन का संचालन राजद के स्नातक क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने किया।

मौके पर सीपीआई राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा कि वर्तमान समय मे जब हमलोग डॉ. अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। उनके सपनों को साकार करने की बात कर रहे हैं तो ऐसे समय में देश की गद्दी पर काबिज मोदी–शाह की सरकार भारतीय लोकतंत्र और संविधान को बदल देना चाहती हैं। देश की सरकारी संसाधनों और संस्थानों को लगातार निजीकरण करने पर आमादा है। मिथिलांचल में कार्यरत साम्प्रदायिक शक्तियों को संपूर्णता में परास्त करने के लिए आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लेना होगा।

सीपीएम विधायक दल के नेता डॉ. सतेंद्र कुमार यादव ने कहा कि मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था की प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देगें, सबका साथ–सबका विकास होगा। लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आएं तो देश को उन्माद, उत्पात और विनाश के रास्ते पर चला रहे हैं। आज जब हम लोग डॉ. अम्बेडकर को याद करने के लिए एकजुट हुए हैं तो हम सभी साथियों को लोकतंत्र और संविधान बचाने का संकल्प लेना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हिंदुस्तान के मजदूर–किसानों, छात्र–नौजवानों को एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए महागठबंधन को मजबूत करना होगा और यहां से सुनिश्चित करना होगा की आने वाले चुनाव में बिहार के 40 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की विजय हो।

आगे उन्होंने कहा कि देश को एक बार फिर से गुलाब बनाने की और मोदी सरकार निरंतर आगें बढ़ रही है। विपक्ष की आवाज पर लगातार मोदी सरकार दमन कर रही है। मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ महागठबंधन के साथियों को एकजुट होकर संघर्ष तेज करना होगा।

माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि मैं आज मिथिलांचल की धरती पर आकर हर्षित हूँ। आज जब डॉ. अम्बेडकर को याद कर रहे हैं और उनके संघर्षों पर चर्चा कर रहे है। तो वर्तमान समय में हिंदुस्तान की आपसी सौहार्द, प्रेम, अमन–चैन की साझी विरासत को भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल के लोगों के द्वारा तोड़ने, साम्प्रदायिक उन्माद, उत्पात मचाने का काम किया जा रहा है। देश की एकता को तोड़ने साजिश रची जा रही हैं। इसलिए आज जरूरत है की इन दंगाइयों के झांसे में नहीं आना होगा। एकजुट होकर इन दंगाइयों, उत्पात और उन्माद फैलाने वालों को जवाब देना होगा। मोदी जी ने बेहतरीन अंदाज में असत्य बोलने की कला में महारथ हासिल कर रखा है। मोदी हटाओ–देश बचाओं का पोस्टर जब दिल्ली की सड़कों पर चिपकाया गया तो दिल्ली के सैकड़ों आंदोलनकारी नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिये। वर्तमान समय की मोदी सरकार के द्वारा इतिहास के पन्नो को तोड़मरोड़ कर पेश किया जा रहा हैं। स्वाधीनता आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी और देश की आजादी के दौरान अंग्रेजों की दलाली और माफी मांगने वालों की सच्चे इतिहास को पाठ्यक्रमों से हटाया जा रहा है। भारतीय इतिहास को बचाने का संकल्प के साथ भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल के सच्चे इतिहास को भी सार्वजनिक करना होगा। आज जब हम मिथिला की धरती पर आएं है तो आपसे आह्वान करता हैं कि हमारे समाज की आपसी सौहार्द, भाईचारा तोड़ने और समाज मे उन्माद फैलाने वाले दंगाइयों को आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों को जीताकर उखाड़ फेंकने का संकल्प लें।

माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा ने कहा कि गैर बराबरी भरे समाज को समतामूलक समाज निर्माण के लिए बाबा साहेब के बताएं रास्ते को आगे बढ़ना होगा। तभी जाकर संविधान और लोकतंत्र को बचाया जा सकता हैं। राहुल गांधी ने सच बोलकर साहस और हिम्मत दिखायी है। मोदी सरकार सोचती है की राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज करके विपक्ष की आवाज को दबा देगें बल्कि हकीकत में विपक्ष की आवाज मजबूत हो रही है। वर्तमान समय की मांग है की सीटों की गुणा–गणित से बाहर निकलकर बड़ी एकता बनाते हुए संविधान बचाओ–लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ–देश बचाओं अभियान को पूरे मिथिलांचल के घर–घर तक पहुंचाने के साथ आम आवाम को गोलबंद करना होगा तब जाकर महागठबंधन मजबूत होगा और आने वाले आगामी चुनाव में महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अली असरफ फातमी साहब ने अपने संबोधन को लाल सलाम के अभिवादन के साथ शुरू किया। डॉ. अम्बेडकर के सपनों व कार्यो पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि आज हम सभी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं व नेता मौजूद हैं तो समय की मांग है की संविधान बचाओ–लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ–देश बचाओ अभियान को जन–जन तक पहुंचाना होगा। तब जाकर उन्मादी और दंगाइयों को मिथिला और सम्पूर्ण बिहार से भगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम 2014 से चाह रहे थे कि नीतीश जी और लालू जी एक मंच पर आए। आज नीतीश जी लालू जी एक मंच पर आ गए अब हमें उम्मीद है कि बिहार नही बल्कि देश से भाजपा का सफाया होगा।

राजद के प्रवक्ता सह पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि आज जब महागठबंधन के कार्यकर्ता नेता संयुक्त रूप से डॉ. अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र और संविधान पर हमलें बढ़े है। हमारा संविधान आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है। साम्प्रदायिक उन्माद, उत्पात को बढ़ावा देने वाली ताकतों के खिलाफ भारतीय लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, रोजी–रोटी, रोजगार के लिए एकताबद्ध होकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को ग्रामीण इलाकों में जाकर एक–एक मतदाताओं को गोलबंद करने का संकल्प लेना होगा।

राजद राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक भोला यादव ने कहा कि हमारी जमात बहुसंख्यक है लेकिन हमलोग संगठित नहीं हैं, हमलोगों को एकजुट होना पड़ेगा तभी जाकर ड. अम्बेडकर के बताएं रास्तों को मंजिल तक पहुँचाया जा सकता है। वर्तमान समय की मांग है की महागठबंधन के सभी साथियों और कार्यकर्ताओं को एकताब) होकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट होना होगा।

कांग्रेस के बेनीपुर से पूर्व प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय मे विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार विपक्ष मुक्त सत्ता बनाना चाहती है। मोदी की तानाशाही और धार्मिक उन्माद के खिलाफ हम सभी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मोदी सरकार को परास्त करने का संकल्प लेना होगा।

प्रख्यात चिकित्सक डॉ. अजित कुमार चौधरी ने कहा कि जो लोग सोच रहे थे की हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला की शहादत बेकार चली जाएंगी पर वर्तमान समय में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांव–शहर के लेकर जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर बहुसंख्यक आम आवाम अपने घरों से निकल कर डॉ. अम्बेडकर को याद करते हुए उनके साथ रोहित वेमुला को भी याद कर रहे हैं। वर्तमान समय में हम सभी को लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष को मजबूत करना होगा।

राजद नेता व पूर्व महापौर ओम खेरिया ने कहा कि आज भाजपा पूरे देश मे संविधान को खत्म कर रही है। हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे है जब हमारे देश के नेता के ऊपर ईडी, सीबीआई का छापा पर रहा है। ऐसे दौर में संकल्प लेना होगा कि हमे 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा।

इस मौके पर माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, सीपीआई जिला सचिव नारायण जी झा, सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत, हम नेता आर के दत्ता, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नेयाज अहमद, नंदलाल ठाकुर, हरि पासवान, सीपीआई के वरिष्ट नेता रामनरेश राय, सुधीर कुमार, सब्बीर अहमद बेग, हम के नेता ज्योति देवी, सीपीआईएम के दिनेश झा, राम सागर पासवान, महेश दुबे, गोपाल ठाकुर, जदयू के रविंद्र कुमार यादव, राजद के उदय शंकर यादव, बदरे आलम बदर, रामबाबू चौपाल, रामा शंकर साहनी, गंगाराम गोप, कांग्रेस के मिथिलेश चौधरी, खादिम हुसैन, प्रिंस राज, जंगी यादव, पप्पू पासवान,राजद के प्रवीण यादव, रामशंकर सहनी आदि ने सभा को संबोधित किया।

मौके पर सीपीआई के सहायक जिला मंत्री राजीव कुमार चौधरी ने उपस्थित प्रतिनिधियों के बीच रखा प्रस्ताव रखा। जिसमें उन्होंने दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शोभन के पास सरकार द्वारा चयनित भुखण्ड का महागठबंधन के सभी घटक दल द्वारा स्वागत करते हुए यथाशिघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने की मांग केंद्र सरकार से की जाती है। दरभंगा जिला में तालाबों की हो रहे अतिक्रमण पर जिला प्रशासन अविलंब रोक लगाते हुए मृत तालाबों को पुनर्जीवित करने व दरभंगा शहर के तीनों प्रमुख तालाब यथा–दिग्घी, हराही और गंगासागर का दरभंगा नागरिक समाज के सहयोग से सौंदर्यीकरण किया जाए। दरभंगा के दो प्रमुख विश्वविद्यालय ललित मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दोनों में से किसी एक को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो। जिला शांति समिति के सदस्यों या फिर शहर के संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति सहित किसी भी समाज के राजनीतिक लाभ हानि के लिए धार्मिक उन्माद फैलाकर समाजिक शांति व्यवस्था करने का प्रयास करें। जिला प्रशासन ऐसे व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करें। बाढ़ सूखा का स्थाई निदान करें। कोसी कमला एवं बागमती का उद्गम स्थल पर हाई डैम का निर्माण करें। दरभंगा के औद्योगिक इकाई को एक निर्धारित समय मे चालू किया जाये। सरकार चाहे तो अपनी सुविधा व उपयोगिता का निबंध औद्योगिक परिसर में उद्योग स्थापित कर सकती है। प्रस्ताव का समर्थन सीपीएम के जिला सचिवमंडल सदस्य गोपाल ठाकुर ने किया।

सम्मेलन में प्रतिनिधियों का स्वागत भाकपा माले के जिलामंत्री बैधनाथ यादव व धन्यवाद ज्ञापन सीपीआईएम के जिला सचिव मंडल सदस्य दिलिप भगत ने किया।

पॉल रॉबसन–समुद्र, आकाश और मिट्टी की आवाज

इंदौर, 15 अप्रैल 2023: पिछली सदी के महान गायक और नागरिक अधिकारों के योद्धा पॉल रॉबसन की 125वीं जयंती के मौके पर भारतीय जन नाट्य सघ (इप्टा) की इंदौर इकाई ने 12 अप्रैल 2023 को इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के विद्यार्थियों के बीच पॉल रॉबसन पर केन्द्रित कार्यक्रम की प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम की शुरुआत में इप्टा का स्वागत किया संस्थान के उप–प्राचार्य डॉ. राजेंद्र कुमार शर्मा ने। विद्यार्थियों को इप्टा के गौरवशाली इतिहास का संक्षिप्त परिचय दिया इंदौर इप्टा के संयोजक प्रमोद बागड़ी ने। इस पूरे कार्यक्रम में कलाकारों को उनकी भूमिका देने का काम नाट्य निर्देशिका और वरिष्ठ अर्थशास्त्री जया मेहता ने किया। पॉल रॉबसन का परिचय देने के लिए रवि शंकर ने अली सरदार जाफरी की पॉल रॉबसन पर लिखी कविता का पाठ किया जिसमें पॉल रॉबसन की शख्सियत का बेहद खूबसूरत बयान किया गया था। 'अपने नगमे पे कोई नाज तुझे हो कि न हो, नगमा इस बात पे नाजाँ है कि वो है फन तेरा' जैसी पंक्तियों से सरदार जाफरी ने महानायक पॉल रॉबसन के लिए ये नज्म कही थी।

इप्टा के युवा साथी उजान बैनर्जी ने बताया कि पॉल के पिता एक गुलाम थे और गुलामी की प्रथा की वजह से अजन्मा बच्चा भी गुलाम ही बनता था। पॉल के पिता ने गुलामी में रहने से इंकार कर दिया था और वे लड़े और पास्टर भी बन गए थे। अपने पिता से पॉल ने आजादी की प्रेरणा हासिल की थी जो बाद में उनके नस्लभेद और रंगभेद विरोधी संघर्ष की बुनियाद बना। पॉल में अनेक किस्म की प्रतिभाएं थीं। वे फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। रटगर्स यूनिवर्सिटी में उन्हें वजीफा मिला और वे वहाँ पढ़ने पहुँचे। उन्होंने पाया कि पूरे विश्वविद्यालय में वे अकेले ही अश्वेत थे। वे फुटबॉल खिलाड़ी थे लेकिन उन्हें गोरे विद्यार्थी खेलने नहीं देते थे, उन्हें गालियाँ देते थे, उन्हें मारते–पीटते थे। एक बार तो उनका कंधा भी टूट गया। उन्होंने सोचा कि वे फुटबॉल खेलने का ख्याल छोड़ ही दें लेकिन फिर उनहें अपने पिता की कही बात याद आती थी और वे फिर अडिग चट्टान जैसे अड़ जाते थे। उनके पिता ने उनसे कहा था कि वे समूची नीग्रो समुदाय के प्रतिनिधि हैं। इसलिए उन्हें अपने स्वाभिमान को बचाते हुए अपने आपको साबित करना था। जो उन्होंने किया भी। वे अमेरिका की राष्ट्रीय फुटबॉल लीग के खिलाड़ी बने जिन्हें लोग फुटबॉल का सुपरमैन कहते थे।

पॉल रॉबसन के विद्यार्थी जीवन के बाद की घटनाओं पर रौशनी डाली एक अन्य युवा साथी अथर्व शिंत्रे ने। उन्होंने बताया कि कोलम्बिया लॉ स्कूल से वकालत की पढ़ाई करने के बाद पॉल काफी वर्षों के लिए ब्रिटेन में थिएटर करते रहे और उनकी एक्टिंग को भी उतनी ही शोहरत मिली जितनी उनके खेल को मिली थी। पॉल का राजनीति से साबका ब्रिटेन में रहते हुए ही 1930 के दशक की महामंदी से परेशान बेरोजगार मजदूरों के विरोध प्रदर्शनों और 1936 में स्पेनिश सिविल वॉर में तानाशाह के खिलाफ रिपब्लिकन्स को अपना समर्थन देने से हुई थी। उसके बाद तो वे अफ्रीकी मामलों की परिषद् से भी जुड़ गए। दूसरा विश्वयुद्ध शुरू हो जाने पर वे अमेरिका लौट आये और उन्होंने विश्वयुद्ध में हिटलर के खिलाफ अमेरिका का समर्थन भी किया लेकिन अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकारों के संघर्ष और सोवियत संघ की नीतियों की प्रशंसा करने के कारण उन्हें एफबीआई का कोपभाजन बनना पड़ा। उन पर कम्युनिस्ट होने का इलजाम लगाकर उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया

विनीत तिवारी

और उनके देश के बाहर जाने–आने पर रोक लगा दी गई।

(जन्म – 9 अप्रैल 1898 – मृत्यु 23 जनवरी 1976)

सारी दुनिया में पॉल रॉबसन पर हुई इस कार्रवाई का विरोध किया गया। विश्व के महान कवियों ने पॉल रॉबसन पर कविताएँ लिखीं और उन पर लगे प्रतिबन्ध हटाने की माँग की गई। आखिरकार आठ साल के बाद 1958 में पॉल को उनका पासपोर्ट वापस मिल सका। उस दौरान चिली के महान कवि पाब्लो नेरुदा ने और तुर्की के क्रांतिकारी कवि नाजिम हिकमत ने पॉल रॉबसन के लिए जो कविताएँ लिखीं उनका पाठ और गायन भी किया गया। नाजिम हिकमत के गीत 'वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, नीग्रो भाई हमारे पॉल रॉबसन' को शर्मिष्ठा घोष के निर्देशन में विनीत तिवारी, उजान, अथर्व, युवराज शर्मा, लक्ष्य जैन, निशा ढोले और कत्यूषा ने गाया। इस गीत का बांग्ला अनुवाद किया था हेमांगो बिस्वास ने और संगीतबद्ध किया था कमल सरकार ने। 'पॉल रॉबसन के लिए एक गीत' शीर्षक से पाब्लो नेरुदा की कविता का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया विनीत तिवारी ने और उसका पाठ सारिका श्रीवास्तव ने किया। जया मेहता ने पॉल रॉबसन के नाटकों और फिल्मों में उनकी विशिष्ट शैली को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि 'वूडू', 'ऑथेलो' और 'एम्परर जोंस' जैसे नाटकों में काम करने से पॉल रॉबसन प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी। इन नाटकों में पहली बार कोई मुख्य किरदार अश्वेत बनाया गया था। पॉल ने ऑथेलो की एक अलग ही व्याख्या की जो बहुत सराही गयी। उनकी पहली फिल्म 'बॉडी और सोल' (1925) को भी बहुत प्रशंसा मिली। जया मेहता ने साथ ही पॉल रॉबसन के विश्व शांति कायम करने के प्रयासों पर भी रौशनी डाली। पॉल ने पेरिस शांति सम्मेलन को भी सम्बोधित किया और वर्ल्ड पीस काउंसिल की मीटिंग को भी सम्बोधित किया। पॉल रॉबसन ने केवल अमेरिकी अश्वेतों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी दमितों–शोषितों के लिए संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद की नीतियों के खिलाफ उनके काम को उनके मरने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने रेखांकित किया। विनीत तिवारी ने बताया कि जब 1958 में पॉल रॉबसन 60 वर्ष के हुए तो दुनिया के 50 देशों में उनका जन्मदिन मनाया जिसमें रूस, चीन, भारत आदि देश शामिल थे। पॉल रॉबसन की ख्याति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक अमेरिकी पहली दफा भारत आया और गाँधी जी से मिला तो गाँधी जी ने उससे पहला सवाल ही यह पूछा कि पॉल रॉबसन कैसे हैं।

कार्यक्रम के अंत में इप्टा के गायन समूह ने पॉल रॉबसन के विश्व प्रसिद्ध गीत 'ओल्ड मैन रिवर–मिसिसिपी' से प्रभावित और लगभग उसी धुन पर असमिया संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका के प्रसिद्द गीत 'ओ गंगा, बहती हो क्यों?' को प्रभावशाली प्रस्तुति दी।

इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क की प्रभारी प्राचार्या डॉ. सुधा जैन ने विद्यार्थियों को पॉल रॉबसन के बारे में इतनी रोचक तरह से जानकारी देने के लिए इप्टा के सभी सदस्यों का आभार माना और विद्यार्थियों को पॉल रॉबसन के बारे में और अधिक पढ़ने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए कहा। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ ही डॉ. रितेश महाडिक, डॉ. मीनाक्षी कार, शैला शिंत्रे, आदि भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संयोजन किया था बिहान संवाद के संपादक रविशंकर ने।

क्यूबा के मई दिवस में उपाध्यक्ष हरिद्वार सिंह करेंगे एटक का प्रतिनिधित्व

नई दिल्ली: 1 मई को क्यूबा में होने वाले समारोह में एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिद्वार सिंह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह में होंगे शामिल होंगे। क्यूवा एक समाजवादी देश है और क्यूबा की सरकार ने क्यूबा की राजधानी हवाना में 1 मई को भव्य समारोह का आयोजन करने का फैसला किया है। उक्त समारोह में भाग लेने के लिए दुनिया के तमाम देशों के ट्रेड यूनियन नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसी संबंध में एटक की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर को भी क्यूबा की ओर से निमंत्रण पत्र आया है। उस पत्र के जवाब में एटक ने एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश के जेबीसीसीआई के सदस्य एवं एसईसीएल के महासचिव हरिद्वार सिंह को क्यूबा की राजधानी हवाना में आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए भेजने का फैसला किया है। 26 अप्रैल 2023 को हरिद्वार सिंह दिल्ली से हवाना के लिए रवाना होंगे। इस खबर को सुनते ही मध्य प्रदेश कोल इंडिया एवं एसईसीएल के एटक के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है 2022 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के 18 वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए हरिद्वार सिंह इटली की राजधानी रोम में गए थे। हरिद्वार सिंह 2004 में चीन की यात्रा भी कर चुके हैं, 2018 में इंग्लैंड की निजी यात्रा कर चुके हैं, 20 दिनों तक इंग्लैंड के तमाम हिस्सों में गए थे। हरिद्वार सिंह के जुझारू व्यक्तित्व, ओजस्वी वक्ता एवं सांगठनिक क्षमता के कारण ही एटक ने यह जिम्मेदारी दी है। मप्र के सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों से हरिद्वार सिंह को क्यूबा जाने के लिए बधाई मिल रही है और यह उनके लोकप्रियता का ही परिचायक है।

प्रगतिशील लेखक संघ का 87वें स्थापना दिवस एवं हरिशंकर परसाई जन्म शताब्दी वर्ष

सामाजिक बदलाव का क्षण साहित्य की निगाहों से चूकना नहीं चाहिए

अथर्व शिंत्रे

इंदौर, 9 अप्रैल, 2023: प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की 87वीं वर्षगांठ एवं हरिशंकर परसाई की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रलेस की इंदौर इकाई द्वारा ओसीसी होम, रुद्राक्ष भवन, इंदौर में गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने संबंधित विषयों पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लेखकों, कलाकारों, रचनाकारों, पत्रकारों और अभिनेताओं ने भाग लिया।

संगोष्ठी में मुम्बई के जाने–माने फिल्म/टेलीविजन अभिनेता एवं लेखक राजेन्द्र गुप्ता की अनायास उपस्थिति महत्त्वपूर्ण रही।

संगोष्ठी की शुरुआत प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिव विनीत तिवारी ने 'सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका' पर अपना वक्तव्य देते हुए की। विनीत ने देश से लेकर दुनिया भर में 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध प्रगतिशील लेखकों जैसे बेर्टोल्ट ब्रेष्ट, बर्ट्रेंड रसेल, पाब्लो नेरुदा, नाजिम हिकमत, लियो टॉलस्टॉय, विक्टर ह्यूगो और हॉवर्ड फास्ट के लेखन और उनकी रचनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि सन 1930 के दशक में जब फासीवाद शक्ति प्राप्त कर रहा था और मॉब लिंचिंग जैसी सामाजिक बुराइयाँ जो आज हम देखते हैं तब आम थीं। उन लेखकों ने लगातार घृणा, भय और हिंसा की मानसिकता फैलती देखी और इस अज्ञानी, विनाशकारी मानसिकता से लड़ने के लिए दुनिया भर के सजग लेखक, वैज्ञानिक, चित्रकार आदि ने मिलकर पेरिस में 1935 में एक सम्मलेन किया जिसमें तीन भारतीय लेखकों ने भी हिस्सेदारी की। उन्हीं में से एक सज्जाद जहीर ने वापस भारत आकर प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) का गठन किया। प्रलेस का मकसद साहित्य के जरिए समाज में बदलाव लाना है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य अब अभिजात वर्ग के रोमांस के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि साहित्य आम लोगों के जीवन, उनके सुख–दुख और उनके संघर्षों की कहानियों के बारे में लिखा जाना चाहिए साथ ही सुंदरता के मापदंड बदलना होंगे तभी साहित्य प्रगतिशील होता है। साहित्य राजनीति से आगे चलने वाली मशाल है। साहित्य वह मशाल है जो व्यक्ति को राजनीति से आगे देखने की दृष्टि देता है। यह बहुत धीरे–धीरे बदलाव लाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से बदलाव लाता है। यह बदलाव छोटा है या बड़ा यह तो वक्त ही बताएगा। इसका एक उदाहरण तुलसीदास में पाया जा सकता है, जो अपनी जाति और लैंगिकता की समझ के आधार पर आजकल काफी निशाने पर रहते हैं, अपने समय में एक प्रगतिशील लेखक थे, जिन्होंने रामायण का संस्कृत से (जो उस समय विशेष रूप से कुलीन वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा थी) अवधी भाषा में अनुवाद कर उसे आम लोगों के पास लाया था। एक प्रगतिशील लेखक को सामाजिक परिवर्तन का कोई अवसर व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। वर्तमान समय की कड़वी सच्चाइयों और सामाजिक बुराइयों के बारे में लिखने के लिए यथार्थ पर आधारित होना और समसामयिक घटनाओं का अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है।

अवसर मिलने पर प्रगतिशील लेखक को उसे आंतरिक रूप से समझने के लिए सुसज्जित होना चाहिए, समाज के शर्मनाक पाखंड को छुपाने वाले पर्दों को तोड़कर लोगों को सच्चाई की ओर ले जाने वाला साहित्य लिखना चाहिए। यह भी समझना चाहिए कि प्रगतिशील लेखक संघ बाद में बना लेकिन उसके पहले भी जब से साहित्य रचा जा रहा है, लोग अपनी–अपनी तरह से तार्किक सवाल उठा रहे थे और अज्ञान और सत्ता के अहम् को चुनौती दे रहे थे। कबीर और चार्वाक को हम इसी रूप में याद करते हैं।

इस वर्ष हरिशंकर परसाई जैसे महान प्रगतिशील रचनाकार का शताब्दी वर्ष भी है अतः अभय नेमा ने परसाई जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वे किशोरावस्था में परसाई की किताबें पढ़ते थे और जिससे उन्हें जीवन की वास्तविकता के प्रति एक मार्क्सवादी आलोचक का दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिली। जब कोई परसाई की रचनाओं को पढ़ता है, तो वे मानवीय स्थिति, समाज में व्याप्त पाखंड, व्यक्ति के चरित्र के बेहतर निर्णय, एक राजनीतिक चेतना की समझ विकसित करने लगते हैं। लेखन में एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आवश्यक है। परसाई ने इस पूंजीवादी समाज की शर्मनाक 'लाभ के लिए मूल्य प्रणाली' पर प्रकाश डालते हुए व्यंग्य लिखा। परसाई से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के अनेक लेखकों ने व्यंग्य लेखन की ओर कदम बढ़ाया। अभय ने एक महत्त्वपूर्ण सवाल उठाया कि एक समय था जब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रगतिशील लेखन हुआ और वर्तमान में पूरे राज्य में हिंसा, भय और नफरत की मानसिकता बनी हुई है, तो क्या किसी ने उस प्रगतिशील लेखन को नहीं पढ़ा? क्या यही प्रगतिशील लेखन का फल है? या शायद हमें अभी परिणाम देखना बाकी है।

सारिका श्रीवास्तव ने कहा कि हम जब युवा हो रहे थे तब आज के समान टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया नहीं था लेकिन तब किताबों का क्रेज था सो परसाईजी की व्यंग रचनाओं को हमने तभी से पढ़ना शुरू कर दिया था लेकिन उनके लेखन को तब समझा जब विश्वविद्यालय के युवा महोत्सव में उनकी रचनाओं पर हमने नाटक किए। और मुझे परसाईजी की "भोलाराम का जीव, हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर" इत्यादि रचनाओं पर नाटक करने का अवसर मिला। सारिका ने बहुत ही रोचक तरीके से परसाई की रचना 'सदाचार का तावीज' का पाठ किया।

इसके बाद कबीर की वाणी को जन–जन तक पहुंचाने में संलग्न सुरेश पटेल ने परसाईजी के कुछ संस्मरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि मैं उसी शहर का रहने वाला हूँ जो परसाईजी की कर्मभूमि रहा है और उसी विद्यालय में मैंने पढ़ाई की जिसमें परसाईजी शिक्षक थे। जबलपुर शहर की हर गतिविधि चाहे वह साहित्यिक हो या राजनीतिक "परसाईजी क्या सोचेंगे" इस पर तय होती थी। उन्होंने परसाईजी के एक साक्षात्कार से जानकारी दी कि परसाईजी ने वार एण्ड पीस उपन्यास पढ़ा था, दो बीघा जमीन और अछूत कन्या फिल्में देखी थीं। और जब परसाईजी से पूछा कि आप लिखते किस वक्त हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि सुबह तो अखबार, पुस्तकें इत्यादि पढ़ता हूँ लेकिन लेख भेजने की तारीख के पहले तक तो किसी भी समय लिखना ही पड़ता है क्योंकि उससे मुझे आमदनी होती है।

रविशंकर तिवारी ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के समय प्रेमचंद के भाषण के चुनिंदा अंशों का पाठ किया।

9 अप्रैल प्रसिद्ध सामाजिक संगीतज्ञ–गायक एवं राजनीतिक सामाजिक अश्वेत कार्यकर्ता पॉल रॉबसन और हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्मदिन भी है। पॉल रॉबसन पिछली सदी के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सांस्कृतिक व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने अफ्रीकी–अमेरिकी पहचान के साथ होने वाले नस्ल–भेद के विरुद्ध अनथक संघर्ष किया। तुर्की कवि नाजिम हिकमत द्वारा पॉल रॉबसन पर लिखी कविता "वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, नीग्रो भाई हमारे पॉल रॉबसन" और भूपेन हजारिका का गीत "ओ गंगा बहती हो क्यों" का गायन भी किया गया। अपनी पढ़ाई के दौरान भूपेन हजारिका पॉल रॉबसन से न्यूयॉर्क में मिले और रॉबसन के दर्शन 'संगीत सामाजिक बदलाव के लिए' से गहरे प्रभावित हुए। हजारिका ने पॉल रॉबसन का विश्व प्रसिद्ध गीत 'ओल्ड मैन रिवर–मिसिसिपी' की धुन पर असमिया, बांग्ला और हिंदी के चर्चित गीत 'ओ गंगा बहती हो क्यों' की रचना की। संगोष्ठी के मध्य इंदौर इप्टा के साथियों शर्मिष्ठा, विनीत, रविशंकर, उजान, अथर्व, लक्ष्य, निशा, युवराज और कत्यूषा ने इन दोनों गीतों का सामूहिक गायन किया।

हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन को भी इस अवसर पर याद किया गया। उनकी कुछ रचनाओं का पाठ किया जो सामाजिक जड़ताओं और धार्मिक कुरीतियों और जातिवाद के खिलाफ थीं। विनीत ने राहुल सांस्कृतायन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वे बहुभाषाविद थे और उनकी अद्भुत तर्कशक्ति और ज्ञान भंडार को देखकर काशी के पंडितों ने उन्हें "महापंडित" की उपाधि से नवाजा। वे अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव भी रहे। उन्होंने तिब्बत की चार बार यात्रा की और वहाँ से विपुल साहित्य लेकर आए।

कार्यक्रम का संचालन प्रगतिशील लेखक संघ इंदौर इकाई के कोषाध्यक्ष विवेक मेहता ने किया।

इस संगोष्ठी में शैला शिंत्रे, रामासरे पांडे, विजय दलाल, गुलरेज खान, माया शिंत्रे इत्यादि गणमान्य साथियों की उपस्थिति महत्त्वपूर्ण रही। फिल्म और टीवी के अत्यंत परिचित कलाकार राजेन्द्र गुप्ता भी इत्तफाक से इंदौर में थे। उन्हें कार्यक्रम की जानकारी हुई तो वे भी अचानक लेखकों, रंगकर्मियों से मिलने कार्यक्रम में आ पहुँचे और पूरे इत्मीनान से तकरीरें सुनीं।

इप्टा का स्वर्णिम अतीत और उसमें निरंजन सेन का योगदान

डॉ. जयराम सूर्यवंशी

भारतीय साहित्य के इतिहास में 1936 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसी वर्ष लखनऊ में हिंदी कथा सम्राट प्रेमचंद की अध्यक्षता में 'प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ ने देश को आजादी दिलाने, देश की उपेक्षित, पीड़ित जनता की समस्याओं की ओर समाज का ध्यान आकर्षित कराने की दृष्टि से तथा अंग्रेजों की क्रूर नीतियों का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में कार्य किया। इसमें उसे सफलता भी मिली। इसी तर्ज पर साहित्यकारों के अलावा नाटक और प्रदर्शनकारी कलाओं के कलाकारों को मंच देने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। इस बीच वैश्विक स्तर पर कई घटनाएं घटित हुई, जिससे दुनिया भर के बुद्धिजीवियों की चिंता बढने लगी थी। 1939 में दूसरे विश्वयुद्ध का आगाज होना, 1941 में हिटलर द्वारा सोवियत यूनियन पर आक्रमण करना। यह घटनाएं हमारी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यबोध के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थीं। ऐसे माहौल में 1943 में 'भारतीय जन नाट्य संघ' यानी 'इप्टा' की स्थापना हुई। 25 मई, 1943 में मुंबई में स्थापित हुए 'भारतीय जन नाट्य संघ' ने इप्टा अधिवेशनों और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अलग–अलग क्षेत्रों के कलाकारों को साथ लेकर ब्रिटिश हुकूमत के बढ़ते अन्याय, सांप्रदायिकता और संकीर्णता का विरोध किया। साथ ही देश की स्वतंत्रता के लिए कई प्रयास किए। इसके साथ ही 1943 में बंगाल के भयावह अकाल की चपेट में आए लोगों की मदद करने की दृष्टि से भिन्न–भिन्न शहरों में कार्यक्रमों के आयोजन से चंदा इकट्ठा करके, बंगाल के अकाल पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। इप्टा के यह कार्य इतने सहज और सरल नहीं थे। यह कार्य करते समय इप्टा के साथियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई कलाकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो कुछ कलाकारों ने हंसते–हंसते जेल जाना पसंद किया। इप्टा के इस आंदोलन में कई कलाकारों, लेखकों, रंगकर्मियों और नाटककारों का योगदान है। जिनमें राजेंद्र रघुवंशी, रशीद जहां, बिनय राय, अली सरदार जाफरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, सजल राय चौधरी, भूपति नंदी, शंभू भट्टाचार्य के साथ ही इप्टा के दीर्घकाल समय तक महासचिव रहे निरंजन सेन का नाम, विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। इप्टा की स्थापना से लेकर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक, निरंजन सेन ने अपनी क्रांतिकारी भूमिका के माध्यम से इप्टा के आंदोलन को दिशा और एक नई पहचान दी।

इप्टा के स्वर्णिम अतीत और इस सांस्कृतिक संगठन के दीर्घकाल समय तक महासचिव रहे निरंजन सेन के योगदान को रेखांकित करने वाली किताब 'इप्टा की अनकही कहानियां' शीर्षक से हाल ही में प्रकाशित हुई है। लोकमित्र प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित प्रस्तुत किताब का संपादन निरंजन सेन की बेटी समाजसेविका मित्रा सेन मजूमदार, बंगाली भाषा के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप चक्रवर्ती और प्रतिष्ठित आलोचक जाहिद खान ने किया है। तीन संपादकों द्वारा संपादित प्रस्तुत किताब का गठन कुछ अलग तरह का है। किताब के आरंभ में आलोचक जाहिद खान द्वारा इप्टा के महासचिव निरंजन सेन के क्रांतिकारी व्यक्तित्व की पड़ताल करने वाला विस्तृत लेख पाठकों को पढ़ने को मिलता है। उसके बाद निरंजन सेन की बेटी मित्रा सेन मजूमदार ने अपने पिता के व्यक्तित्व की कुछ खूबियों को 'मेरे बाबा: एक विशिष्ट व्यक्तित्व' शीर्षक से लिखित लेख में अभिव्यक्त किया है। दिलीप चक्रवर्ती ने अपने लेख 'इप्टा और कामरेड निरंजन सेन' में इप्टा के उत्थान, विकास में निरंजन सेन के योगदान को रेखांकित किया है। इन तीन महत्वपूर्ण लेखों के अलावा निरंजन सेन की पत्नी डॉ. योगमाया सेन द्वारा निरंजन सेन के कार्यों का सिलसिलेवार लेखा–जोखा, हेमांग विश्वास, राजेंद्र रघुवंशी, शोभा सेन, हबीब तनवीर और उत्पल दत्त के लेख भी किताब की महत्ता बढ़ाते हैं। किताब में नाट्य आलोचक शमिक बंदोपाध्याय और प्रतिभा अग्रवाल द्वारा निरंजन सेन का एक लंबा साक्षात्कार भी है। जो कि 5 नवंबर, 1987 को लिया गया था। पचास पृष्ठों के इस साक्षात्कार के माध्यम से निरंजन सेन ने इप्टा की कई अनकही कहानियों, गतिविधियों, मुश्किलों, हलचलों को बयान किया है। इसके अलावा किताब में इप्टा की नींव, इप्टा की स्थापना, बंगाल के अकाल पीड़ितों के लिए इप्टा के साथियों के योगदान और इप्टा के विभिन्न अधिवेशन आदि पर भी विस्तृत चर्चा मिलती है।

7 सितंबर, 1915 को असम के सिलहट में एक जमींदार परिवार में निरंजन सेन का जन्म हुआ था। अपनी युवावस्था से ही उन्होंने राजनीतिक कार्यों में भाग लेना शुरू किया था। आगे चलकर 1940 में निरंजन सेन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। अपनी जनवादी भूमिका और सामाजिक कार्यों में रुचि के कारण निरंजन सेन ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा देकर, पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने की ठान ली। 1943 में उन्होंने न सिर्फ मुंबई में इप्टा के स्थापना समारोह में दिल्ली के कलाकारों के साथ भाग लिया, बल्कि मुंबई से दिल्ली लौट कर, वहां इप्टा का गठन भी किया। इसी वर्ष बंगाल के भयावह अकाल में 35 लाख से ज्यादा लोग भूख से मारे गए। यह मानवता पर बहुत बड़ा आघात था। इप्टा ने निरंजन सेन की अगुवाई में 'अकाल राहत समिति' के माध्यम से देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। खुद निरंजन सेन ने 'भूखा है बंगाल' और 'बंगाल की आवाज' इन दो नाटकों का मंचन दिल्ली और पंजाब में भिन्न–भिन्न स्थानों पर किया। इन कार्यक्रमों से उस वक्त पन्द्रह हजार रुपए इकट्ठा कर, अकाल राहत निधि में जमा किए गए।

1945 में इप्टा का चौथा अखिल भारतीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ। जहां निरंजन सेन का राष्ट्रीय महासचिव के रूप में चयन हुआ। इसके बाद, तो उन्होंने अपने आप को इप्टा के लिए ही समर्पित कर दिया। निरंजन सेन ने अपने कार्यकाल में इप्टा के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत, फासीवाद, और सांप्रदायिकता के विरोध में बड़ी मुहिम छेड़ी। हिंदू, मुस्लिम एकता का प्रचार–प्रसार किया। नाटकों और जनवादी गीतों के माध्यम से देशवासियों के मन में आजादी के प्रति एक चेतना विकसित की। 15 अगस्त, 1947 को आजादी के साथ हुए, देश विभाजन के कारण कई समस्याएं उभर कर आई। पूरे देश में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में देशवासियों के बीच एकता बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द प्रस्थापित करने की दृष्टि से निरंजन सेन और उनके साथियों ने बड़ी मेहनत की। उस समय मानवता, बंधुता पर कई गीत, नाटक लिखे गए और उसका प्रचार प्रसार लोगों के बीच किया गया। निरंजन सेन ने अपने कार्यकाल के दौरान इप्टा के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए। इस प्रकार की कई घटनाओं की चर्चा प्रस्तुत किताब में जाहिद खान द्वारा लिखित लेख 'निरंजन सेन की हंगामाखेज जिंदगी और उनके इंकलाबी कारनामों का लेखा–जोखा' में पढ़ने को मिलती है।

किताब समीक्षा: 'इप्टा की अनकही कहानियां',
संपादक: मित्रा सेन मजूमदार, दिलीप चक्रवर्ती और जाहिद खान,
पृष्ठ संख्या : 143, मूल्य 225,
प्रकाशक: लोकमित्र प्रकाशन, दिल्ली

इप्टा का यह सफर इतना आसान नहीं था। निरंजन सेन और उनके साथियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1948 के फरवरी महीने में इप्टा के कामरेडों ने दक्षिण पूर्व एशियन यूथ के प्रतिनिधियों के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन कोलकाता में किया था। जहां विरोधी दल के गुंडों ने आकर गोलियां चलाई। जिसमें इप्टा के दो साथी मारे गए। निरंजन सेन के दाहिने हाथ और दाहिने पैर में गोलियां लगीं। इन परिस्थितियों में भी उन्होंने इप्टा के उत्थान के प्रयासों में कोई कमी नहीं की। निरंजन सेन ने देश के सभी राज्यों में जाकर किसान, ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलनों में हिस्सा लिया। प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच प्रदान किया। इप्टा के महासचिव के रूप में कार्य करते हुए, निरंजन सेन ने एक ओर सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा लिया, तो साथ ही साथ अपने साथियों को भी सहयोग दिया। 1955–56 के दौर में कवि, संगीतकार हेमांग विश्वास बीमार हुए, तब उनके इलाज के वास्ते चंदा इकट्ठा करने के लिए निरंजन सेन ने इप्टा के माध्यम से पूरे बिहार का दौरा किया। उन्हें इलाज के लिए चीन भेजने की व्यवस्था की। इसके अलावा नर्तक शंभू काका और उनकी पत्नी छेनु काकीमा जो काम न होने के कारण चिंतित थे, उन्हें निरंजन सेन ने कोलकाता भेजकर, उनके लिए काम का इंतजाम किया।

जीवन भर इप्टा के उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले निरंजन सेन, जीवन के अंतिम पड़ाव में हृदय रोग से पीड़ित हो गए थे। साथ ही साथ आंखों की कई प्रकार की बीमारियां उन्हें थीं। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने भी उनके शरीर को जकड़ लिया था। 29 जुलाई, 1993 में उन्होंने इस दुनिया से विदाई ली। निरंजन सेन के साथी हेमांग विश्वास ने उनके समग्र योगदान को रेखांकित करते हुए लिखा था, ''लगातार बीस सालों तक पार्टी से मिले सामान्य भत्ते पर उन्होंने पूरे भारत का दौरा कर, 'भारतीय जन नाट्य संघ' को एक परिपूर्ण सर्वभारतीय संगठन का रूप दिया। प्रस्तुत किताब के माध्यम से पाठक निरंजन सेन द्वारा इप्टा के माध्यम से किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को जान सकते हैं। इसके साथ ही स्वाधीनता पूर्व देश में किस तरह की विकराल समस्याएं थीं? उन भयंकर हालात में इप्टा ने कितनी अहम भूमिका निभाई?, इन ऐतिहासिक सच्चाईयों को समझने के लिए प्रस्तुत किताब पढ़ना बेहद जरूरी है।

प्राकृतिक आपदाओं से फसल हानि की भरपाई करे सरकार

लखनऊ/नई दिल्ली, 19 अप्रैल 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. गिरीश ने कहा कि फसल खरीद सीजन में केन्द्र सरकार और कई राज्य सरकारों के किसान विरोधी करतबों से किसान बरवादी की ओर धकेले जा रहे हैं। पीड़ित किसान उद्वेलित हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, मगर सरकारों पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं दिखता। हाल ही में कई बार मौसम बदला और आंधी, बारिश और ओलों ने किसानों की फसल पर कहर ढाया। गेहूं सरसों आलू आदि बुरी तरह प्रभावित हुये। किसानों की उपज की पैदावार घट गयी, जिस पर कि वे पूरी और महंगी लागत लगा चुके थे। अब इन उपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदारी करना तो दूर सरकार ने उनको कम मूल्य पर खुले बाजार में बेचने को बाध्य कर दिया है। इतना ही नही केन्द्र सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 5 रुपये 50 पैसे से लेकर 31 रुपए 87 पैसे प्रति कुंतल तक की कटौती कर दी है। जबकि किसान प्रति कुंतल रुपये 50 हजार की भरपाई की मांग कर रहे हैं। खरीद केन्द्र और सरकारी खरीद दोनों ठप पड़े हैं। सरसों में भारी नमी और धब्बे बता कर समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदा जा रहा है और किसान ठगा महसूस कर रहा है। सरकार के पिट्ठूओं द्वारा संचालित फसल बीमा कंपनियाँ और सरकारी अनुदान देने वाले विभाग किसानों को अलग पलीता लगा रहे हैं। डॉ. गिरीश ने कहा कि समाजवादी देशों में फसल हानि की भरपाई की जाती है, और यहाँ आपदा का भार उन पर अलग से डाला जा रहा है। अतःएव लगभग हर जगह किसान उद्वेलित हैं। पंजाब के किसानों ने तो ट्रैक ही जाम कर अपनी आवाज उठाई। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि सभी जगह से किसानों की कार्यवाहियों की खबरें मिल रहीं हैं। सरकार खतरनाक खामोशी अख्तियार किये हुये है।

हम मांग करते हैं कि गेहूं के समर्थन मूल्य में की गयी कटौती रद्द की जाये, गेहूं, सरसों आदि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जायें, फसल हानि की भरपाई किसानों की मांग के अनुसार की जाये, फसल बीमा कंपनियों की लूट रोकी जाये तथा प्राकृतिक आपदा से हुयी फसल हानि की भरपाई सरकार करे, आपदा की आफत किसानों के कंधों पर लादना बन्द करे।

राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपनी ऐतिहासिक...

पेज 1 से जारी...

कर रहे हैं। अपनी प्रकृति में वे स्वाभाविक तौर पर अलोकतांत्रिक हैं और किसी भी आलोचना या विरोध/असहमति को,खासतौर पर यदि वह कम्युनिस्टों की तरफ से है, वह राष्ट्रविरोधी करार कर देते हैं। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने कम्युनिस्टों पर निशाना साधा और कहा कि यह एक खतरनाक विचारधारा है। प्रधानमंत्री और समूचा आरएसएस परिवार समझता है कि आरएसएस को विचारधारात्मक चुनौती केवल कम्युनिस्टों से ही मिल सकती है।

केवल कम्युनिस्ट ही हैं जो देश के सामने एक ऐसा वैकल्पिक विजन रख सकते हैं जो जनता परस्त, समानतावादी, धर्मनिरपेक्ष हो और सामाजिक न्याय का समर्थन करता हो। हमें जनता के सामने इस बात को ले जाना चाहिए कि किस प्रकार आरएसएस उस हर चीज को तबाह कर रहा है जो हमें स्वतंत्रता संघर्ष से विरासत में मिली और जिन्हें स्वतंत्रता के बाद बनाया गया। हमें जनता के सामने यह भी ले जाना चाहिए कि किस प्रकार वामपंथ ही आरएसएस के फूटपरस्त एजेंडे से समाज को मुक्त करने में विचारधारात्मक तौर पर सक्षम है।

यदि हम एक साथ होकर आगे बढ़ें और एकजुट होकर संघर्ष करें, यदि हम अपने वैकल्पिक एजेंडे के साथ जनता तक पहुंच सकें, यदि हम उनकी मुसीबत की घड़ी में उनके साथ खड़े हो सकें और उनके जीवन की बेहतरी के लिए संघर्ष करें तो हम राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा जल्दी ही वापस हासिल कर सकते हैं। हमें जनता तक पहुंचने, उनकी बातें सुनने, उनकी मदद करने और उनके जीवन का उत्थान करने, जो कम्युनिस्टों के तौर पर हमारा कर्तव्य है, के लिए अपनी तमाम ऊर्जा को काम में लगाना चाहिए।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश राज और अन्य औपनिवेशिक शासन से देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा राज और क्रोनी पूंजीवाद और सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों से देश की आजादी के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेगी।

इस संघर्ष के दौरान, कम्युनिस्टों को जेल में डाला जा सकता है या उन्हें मारा भी जा सकता है, परंतु कम्युनिस्टों को परास्त कभी नहीं किया जा सकता। संघर्ष को जारी रखना होगा।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिकाः भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़ः प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाषः 011–23523349, 23529823
ईमेलः pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोनः 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोनः 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोटः आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंटः 32074674284, आई.एफ.सी. कोडः SBIN0009371

भाजपा राज में बढ़ी दलितों के खिलाफ हिंसा

पेज 5 से जारी...

2022 के डेटा उपलब्ध नहीं है। कुल मिला कर इन 8 वर्षों में पूरे देश में दलित के खिलाफ हिंसा के 3,65,559 मामले आए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हर साल दलितों के खिलाफ हिंसा के औसतन 45,695 मामले आ रहे हैं। यानी हर दिन औसतन 125 दलितों पर जुल्म हो रहा है।

2014 से 2019 तक दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले:

साल दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले

2014 46962

2015 44941

2016 40743

2017 43122

2018 42748

वर्ष दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले

2019 45852 23.1 प्रतिशत

2020 50,291 25.5 प्रतिशत

2021 50,900 25.5 प्रतिशत

वहीं 2018 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में दलितों के साथ होने वाली हिंसा में 66 फीसदी का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, वो रिपोर्ट कहती है कि जिन राज्यों में दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए, वहां या तो भाजपा की सरकार है या उनके सहयोगियों की।

दलितों के खिलाफ हिंसा में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड सबसे खराब, हर रोज औसतन 35 मामले। उत्तर प्रदेश में, 4 साल में करीब 50 हजार दलित हिंसा के शिकार हुए हैं। दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड सबसे बदतर रहा है। एक दशक से अधिक समय से दलितों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 2018–2021 के बीच उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ 49,613 मामले आए हैं। इनमें 2018 में 11,924, 2019 में 11,829, 2020 में 12,714 और 2021 में 13,146 मामले दर्ज किए गए हैं। हर दिन यहां दलितों के खिलाफ हिंसा के औसतन 35 मामले आ रहे हैं। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक है। कुल जनसंख्या में से, 77.73 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में और 22.27 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। उत्तर प्रदेश में, कुल जनसंख्या का 20.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) और 0.57 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (एसटी) है।

ब्राह्मणवादी आरएसएस–भाजपा के सत्ता में आने के जहां दलितों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है तो वहीं इस वास्तविकता की सबसे विडम्बना यह है कि मोदी नीत भाजपा को सत्ता दिलवाने में 2014 में दलित वोटो ने एक अहम भूमिका अदा की है। चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो लगता है कि 2014 में दलितों की उम्मीद और भरोसा कुछ और ही था। उस समय वो चुनावी बयार में आरएसएस–भाजपा के साथ बह लिए थे। आजाद भारत के इतिहास में 2014 का चुनाव वह पहला मौका था, जब सबसे ज्यादा संख्या में दलितों ने कमल का बटन दबाया था। 543 में से 84 सीटें जो दलित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं, उनमें से 40 अकेले बीजेपी के हिस्से में गिरीं। लोकतंत्र में यह पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में चुने हुए दलित जनप्रतिनिधि संसद तक पहुंचे। मोदी का दिखया गया विकास और अच्छे दिनों का ये सपना इतना सुनहरा था कि सदियों से विकास के सबसे निचले पायदानों पर रहा दलित भी उस सपने में अपना हिस्सा पाने से खुद को रोक न सके। हालांकि उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं होगा कि यह विकास का सपना मनुवादी हिंदू राष्ट्रवाद के एजेंडे में बदल जायेगा।

दलितों के वोट के योगदान से सत्ता पर काबिज हुई आरएसएस निर्देशित भाजपा की जातीय श्रेष्ठता का अहंकार दिन पर दिन और मजबूत होता जाता है। और उनके समर्थक समाज का एक तबके पहले जो बात कानून के डर से खुलेआम कहने से डरते था, वो अब खुलकर कहने लगे हैं, उन्हें अब कानून का कोई खौफ नहीं है। अब वो सोशल मीड़िया पर पूरे आत्मविश्वास के साथ गालियां देते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध करने पर जान से मारने और बलात्कार की धमकी देते हैं। उनके इसी उन्माद ने गौरी लंकेश, पानसारे, कलबुर्गी जैसे मुखर विद्वानों की हत्या का दुस्साहस उनमें भरा था। इसी उन्माद ने मुंबई में दलित महिला डॉक्टर को ज्यादा ताकत से यह कहकर लिंच किया कि वो तो रिजर्वेशन से आई है। मेरिट वाली नहीं। गुजरात के उना में गौहत्या के शक में दलितों की बर्बर पिटाई जैसी घटनाएं आम होने लगीं हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर रोहित वुमेला और सोलंकी जैसे छात्रों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ब्राह्मणवाद का यह अतिवादी उन्माद ही है जो अंबेडकर की मूर्तियां बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। अंबेडकर से तो उन्हें इतनी चिढ़ है कि वे उनकी मूर्ति को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां अंबेडकर ही तोड़ी जाती हैं। हालांकि यह दीगर बात है कि वो अंबेडकर को जितना मारते हैं अंबेडकर का कद हर बार पहले से बड़ा हो जाता है। जितनी मूर्तियां अंबेडकर की तोड़ी जाती है उससे कहीं ज्यादा मूर्तियां उनकी लग जाती हैं। आजादी के इतने दिनों बाद और बाबासाहब अंबेडकर के इतने बड़े योगदान के उनका जातिवादी ईगो अंबेडकर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। जिस तरह कथित उच्च जाति का ब्राह्मणवादी वर्चस्ववादी ईगो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि कोई दलित उनके जैसी मूंछे रखें। जिस कारण से ये वर्चस्वशाली लोग मूंछ वाले दलित की हत्या करने से भी नहीं चूकते। दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बरात लेकर दुल्हन के यहाँ जाए ये भी इन्हें बर्दाश्त नहीं। दलित अधिक धन कमाए, अच्छा मकान बनवाए। रौब से रहे। बाइक से या कार से इनके सामने से गुजरे तो उसे नीचा दिखाने से लेकर, उस पर तरह–तरह के अमानवीय अत्याचार ही नहीं बल्कि उसकी हत्या तक कर देते हैं। और मोदी के सत्ता में आने से इनका यह ईगो बेलगाम हो गया है, जिसे कानून तक का कोई खौफ नहीं है। उसने समझ लिया है कि अब सत्ता ब्राह्मणवाद, मनुवाद के पास है।

अम्बेडकर की प्रासंगिकता

पेज 16 से जारी...

रहा है और यहां तक कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उस पर हमला भी कर रहा है। भयानक विडम्बना!

राज्यतंत्र पर नियंत्रण रखने वाले भाजपा नेता आजकल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बार–बार दोहरा रहे हैं। उन्होंने अनेकानेक नफरत भरे कदम उठाए हैं और उन्मादपूर्ण नैरेटिव गढ़े हैं जैसे कि लव जेहाद, लैंड जेहाद, गोरक्षक हमलावर दस्ते आदि। देश में लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसकी जड़े इस्लामोफोबिया में हैं। इससे ध्रुवीकरण की प्रक्रिया गहरी होती जा रही है। भाजपा आजकल अपने–आपको अम्बेडकर के बड़े करीबी होने का दिखावा करती है परंतु उसे ध्यान होना चाहिए कि अम्बेडकर ने हिंदू राष्ट्र के विचार को पूरी तरह खारिज किया था और कहा था कि इससे तबाही आ जाएगी; उन्होंने भारत के लोगों से आग्रह किया था कि अपनी पूरी ताकत के साथ इस विचार का विरोध करें।

भाजपा नेता और हिन्दुत्व नेता जो नफरत भरे भाषण देते हैं उससे मुसलमान भारी उत्पीड़न के शिकार होते हैं। इससे 1946 में संविधान सभा में अम्बेडकर की वह गंभीर भविष्यवाणी साबित होती है कि यदि नेताओं को अल्पसंख्यकों के खिलाफ चिंतापूर्ण भाषण देने से नहीं रोका गया तो मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध शुरू हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की असुरक्षा कई गुना बढ़ गई है। आरएसएस प्रमुख के इस अजीबोगरीब बयान ने नागरिकों की सुरक्षा को खतरा और भी बढ़ा दिया है कि हिन्दू एक हजार साल से युद्ध कर रहे हैं, अतः जनता के लिए आक्रामक होना स्वाभाविक है। सुविचारित तरीके से एक ऐसा खतरनाक वातावरण बनाया जा रहा है जिसमें सांप्रदायिक एवं संकीर्णतावादी ताकतें की मनचाही होती है और उन्हें किसी कायदे–कानून का डर नहीं रहता और यह सब कुछ सत्ता पर बैठे लोगों के समर्थन से होता है।

ये सांप्रदायिक फासिस्टी ताकतें देश के लोगों के ऊपर एक अनुदार एकाश्मक सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था थोपने की कोशिश कर रही हैं। यह वर्तमान संविधान के स्थान पर उस मनुस्मृति को लाने की कोशिश है जिसमें असमानता, जाति और महिलाओं को नीचा समझने जैसी बातों को शाश्वत समझा जाता है।

इस ध्रुवीकृत दौर में जिस चीज की आवश्यकता है वह है अम्बेडकर का समावेशी विजन, जैसा कि हमारे संविधान मे प्रतिष्ठापित है।

किसान सभा के सिरसा जिला सम्मेलन में गरजे किसान नेता

रानियाँ (सिरसा) 6, अप्रैल, 2023: देश के प्रथम किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा (1936) का जिला सम्मेलन रानियाँ के बाबा बंता सिंह भवन में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता किसान नेता बलराज सिंह बनी, प्रितपाल सिद्धू और भजन बाजेकां ने की। सुखदेव सिंह जम्मू द्वारा पिछले कार्यो की रिपोर्ट पेश की गई जिस पर चर्चा करते हुए किसान सभा के प्रतिनिधियों ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लड़े गए विशाल किसान आन्दोलन में किसान सभा के योगदान की सराहना की और दिल्ली के टिकरी बार्डर पर लंबे समय तक डटे रहे किसानों को सम्मानित किया। साथ ही किसान आन्दोलन में संघर्ष के दौरान किसान सभा के किसान नेता रोशन सुचान पर दर्ज रेल रोकने सहित अन्य मुकद्दमों के अलावा संगठन द्वारा गांवों में सभाएँ आयोजित कर जनजागरण अभियान चलाने पर किसान नेता बलराज बणी, सुखदेव जम्मू, विक्रम झोरड़ नाली, हरदेव जोश, अरमान गिल, भजन बाजेकां, इकबाल सिंह नेजाडेला, गुरेज बराड़ और हरजिंदर भंगू की सराहना की गई। 16वें किसान सभा के जिला सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वरिष्ठ किसान नेता स्वर्ण सिंह विर्क ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के हितों की नीतियाँ बनाने की बजाय अम्बानी और अडानी जैसे कारपोरेट घरानों के पक्ष की नीतियां बना रही हैं। किसान आर्थिक सकंट की मार झेल रहे हैं। किसानों को सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम देकर एमएसपी लागू करे। साथ ही उनके बैंकों और आढ़तियों के कर्ज को माफ करे। सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का 50 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देने, सब्जियों और फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने, सरपंचों से बातचीत कर उनकी मांगो को मानने के अलावा और ओटू झील की खुदाई करने की माँग की गई। किसान सभा के प्रत्येक गाँव में विस्तार के संकल्प के साथ 21 सदस्यीय जिला कमेटी का चुनाव किया गया। सर्वसम्मति से हरदेव जोश को जिला अध्यक्ष और प्रितपाल सिद्धू को जिला सचिव चुना गया। साथ ही भजन बाजेकां को उपप्रधान, बलराज बनी और इकबाल नेजाडेला को सहसचिव चुना गया। गुरुतेज बराड़ को कानूनी सलाहकार, कोषाध्यक्ष रेशम सिंह करीवाला के अलावा किसान नेता रोशन सुचान को प्रेस प्रवक्ता चुना गया। सम्मेलन में जगदीश डबवाली, राजकुमार, राकेश सुचान, किरपाल सिंह चीमा, सतनाम चन्द सुलतानपुरिया, मिलख राज कंबोज, छिन्द्रयाल चौर्बुजा, गुरभेज सिद्धू, बलजीत सिंह, हरजिन्द्र भगू, गुरदेव झोरडनाली और दर्शन सिंह करीवाला आदि किसान नेता उपस्थित थे।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 23 – 29 अप्रैल, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 21.4.2023

अम्बेडकर की प्रासंगिकता

डी. राजा

14 अप्रैल को जब हम डॉ. अम्बेडकर की जन्म जयंती मना रहे है तो यह कटु वास्तविकता हमारे सामने है कि बाबा साहेब ने न्याय के विचार पर आधारित जो सार्वभौम विजन प्रस्तुत किया था आज मोदी सरकार और संघ परिवार सोचे–समझे इरादे के साथ उस विजन का पूरी तरह उपहास कर रहा है। आज सार्वजनिक तौर पर जो कुछ हो रहा है, उसके संबंध में थोड़ी–सी जांच–पड़ताल से पता चलता है कि डॉ. अम्बेडकर ने संविधान में प्रतिष्ठापित कर सभी नागरिकों से जो वायदे किए थे उनका सरासर उल्लंघन हो रहा है, उन्हें कमजोर किया जा रहा है। एक बार उन्होंने संविधान सभा में सारगर्भित तरीके से कहा था कि ''संसद का विपक्ष से सरोकार होता है''। बजट सत्र के दौरान हमने क्या देखा? भाजपा के संसद सदस्यों ने एक सुनियोजित तरीके से लोक सभा और राज्य सभा की कार्रवाईयों को डिस्टर्ब किया जो डॉ. अम्बेडकर के सिद्धांतों के सरासर खिलाफ है। संसद कार्रवाईयों को भंग करने के उनके इस काम के पीछे एकमात्र इरादा यह था कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी कारोबार के बीच जो अनैतिक साठगांठ है और उसके बारे में काफी कुछ लिखित है, विपक्षी पार्टियां को उस संबंध में सवाल उठाने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर दिया जाए। क्रिस्टोफर, जेफरलॉट, अतुल कोहली और कान्ता मुरली ने अपनी पुस्तक ''बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया'' में लिखा है कि संभवत: मोदी ही भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिनका राजतिलक कारपोरेटों ने किया है। भाजपा संसद सदस्यों ने बेशर्मी के साथ संसद की कारवाइयों को डिस्टर्ब किया और अडानी जैसे क्रोनी पूंजीपतियों के संबंध में विपक्ष को सवाल नहीं उठाने दिए। पूरा बजट सत्र यों ही बर्बाद हो गया। हमारी संसद के इतिहास में इस तरह की घिनौनी घटना पहले कभी नहीं हुई है। के. आर. नारायणन जब राज्य सभा के अध्यक्ष थे, 1992 में उन्होंने ''हमारी विधायिका में अनुशासन एवं शिष्टाचार'' विषय पर बोलते हुए संसदीय कार्रवाईयों को भंग करने को ''मध्य युग के खसरा रोग'' का नाम दिया था। उन्होंने उत्कटतापूर्वक यह आशंका व्यक्त की थी कि समय के गुजरने के साथ और भारत में लोकतंत्र के और अधिक मजबूत होने पर यह बीमारी ठीक हो जाएगी। अपनी जबर्दस्त फूटपरस्त एवं फासिस्ट विचारधारा के अनुरूप भाजपा संसद सदस्यों ने उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में, जो हमारे लोकतंत्र की बुनियादें है और जिन्हें कठिन संघर्षों के बाद बनाया गया था, ऐसा रोग लगा दिया है कि ये सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं।

2014 में नरेन्द्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो वह अकसर कहते रहते थे कि उनके कार्यकाल में ''न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम प्रशासन'' रहेगा। दुर्भाग्यवश, यद्यपि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, देश इस दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य को देख रहा है कि संसद का काम नाममात्र के लिए होता है और सरकारी कामकाज को लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों को धता बताकर संसद में पारित कर दिया जाता है। इसमें लोकतंत्र के इस सिद्धांत को पूरी तरह भुला दिया जाता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। इस प्रकार संसद एक निरर्थक–सी चीज बनकर रह जाती है।

भाजपा के स्वर्गीय नेता अरूण जेटली जब विपक्ष में थे तो कहा करते थे कि विपक्ष की पार्टियां जब संसदीय कार्रवाईयों को डिस्टर्ब करती हैं तो वह विपक्ष द्वारा प्रयुक्त एक संसदीय कार्यनीति का हिस्सा होता है। भाजपा संसद सदस्यों ने विधायिका के प्रति सरकार की जवाबदेही का पूरी तरह गला घोट दिया है। उन्होंने लोकतंत्र को भितरघात करने के अपने एजेंडे की खुले तौर पर घोषणा कर दी है। साथ ही, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने चरम हिंसा शुरू कर दी है। इन दोनों चीजों के कारण भारत सचमुच एक अंधेरे दौर से गुजर रहा है।

विधायिका के प्रति सरकार की जवाबदेही के सिद्धांत की जांच को ध्वस्त करने के साथ–साथ संघ परिवार समाज और राज शासन को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत करने के लिए अनवरत तरीके से विभिन्न गतिविधियों में लगा है। भाजपा के जो संसद सदस्य और हिन्दुत्व नेता अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर नफरत भरे भाषण देते हैं और मुसलमानों के पूरी तरह सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है, ईनाम दिया जाता है। यह इस बात का पर्याप्त सबूत है कि संघ परिवार समाज और शासन को ध्रुवीकृत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। यह ब्राह्मणवादी मनुवादी राजनीति समाज और राज शासन को कमजोर कर रही है। इस त्रासद संदर्भ में, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ख्याल में लाए गए तथाकथित नये भारत में, 1928 में अम्बेडकर का यह वेदनापूर्ण कथन एक वास्तविकता बन गया है कि ''भारतीय राजनीति क्रियाशील धर्मशास्त्र के अलावा कुछ नहीं है''। इस किस्म की राजनीति के इलाज के तौर पर बाबा साहेब ने समाज और राजशासन के अधिकाधिक धर्मनिरपेक्षताकरण की हिमायत की थी।

यह शोचनीय स्थिति है कि जिस धर्मनिरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित किया गया था और जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधारभूत ढांचा माना गया है, उसका अब उपहास किया जा

शेष पेज 15 पर...

कामरेड पी.सी. जोशी और डा. बी.आर. अम्बेडकर को याद किया

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने कामरेड पी. सी. जोशी और हमारे संविधान के शिल्पकार डा. बी.आर. अम्बेडकर को उनकी जन्म जयंती 14 अप्रैल 2023 को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कामरेड पी.सी. जोशी और डा. बी.आर. अम्बेडकर के चित्रों पर माल्यार्पण किया।

पार्टी मुख्यालय अजय भवन में कार्य करने वाले साथियों और पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए डी. राजा ने कहा कि कामरेड पी.सी. जोशी को सच्ची श्रद्धांजलि पार्टी को जनता के सभी तबकों तक फैलाना और जीवन्त बनाना ही होगी।

डा. बी.आर. अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए पार्टी महासचिव ने कहा कि हम संविधान को भाजपा–आरएसएस गठजोड़ के हमलों से बचाकर और संविधान की रक्षा करके डा. अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.